

इंटीग्रेटेड कोविड कमाण्ड एण्ड कन्ट्रोल सेन्टर वाराणसी।

पत्रांक: 01(1)/कोविड19/नोटिस/2020/

दिनांक: 09.8.2020

नोटिस

डा०फरहाना शम्स

प्रभारी, पी०एच०सी०— आदमपुर, वाराणसी।

आप अवगत हैं कि आपदा के रूप में घोषित कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत, जनपद स्तर पर इस महामारी के रोकथाम के प्रभावी एवं समयबद्ध प्रयास आवश्यक है। कृपया समय-समय पर उ० प्र० शासन स्तर से निर्गत विभिन्न शासनादेशों का सन्दर्भ ग्रहण करें।

आपके प्रभार के अन्तर्गत संचालित पी०एच०सी० हेतु, अब तक चिन्हित कोविड-19 पॉजिटिव रोगियों की कुल संख्या और विवरण से आपको समय से अवगत कराया जा चुका है। आपके द्वारा दिनांक: 09.8.2020 के दैनिक कार्यों की समेकित सूचना को, डेली मास्टर रिपोर्ट प्रारूप (11 बिन्दुओं की) पर अंकित कर प्रेषित किया गया है। उक्त रिपोर्ट की समीक्षा करने पश्चात निम्न बिन्दुओं के सम्बंध में आपकी लापरवाही व शिथिलता परिलक्षित हो रही है।

1. दैनिक रिपोर्ट के विभिन्न कालमों में अंकित सूचना, मनमाने ढंग से भरी गयी है अथवा अधूरी है।
2. कुल पॉजिटिव मरीज, मेडिकल आइसोलेशन, होम-आइसोलेशन एवं रिकवर्ड रोगियों के कालम में अंकित सूचनाएं परस्पर विरोधाभासी हैं।
3. R.R.T. द्वारा कोविड रोगियों की कुल संख्या के सापेक्ष किया गया भ्रमण व सत्यापन या तो अपूर्ण है अथवा ग्रामक है। 'नाट अलाउड' रोगियों व 'हास्पिटलाइज्ड' मरीजों की संख्या में भिन्नता है, जिसका अर्थ यह है कि गम्भीर रोगी अथवा होम आइसोलेशन हेतु अपात्र रोगी आपकी लापरवाही से खतरनाक स्थिति में रह रहा है। आपका यह कृत्य मानव जीवन अथवा समाज के लोगों को खतरे में डालने जैसे आपराधिक कृत्य की श्रेणी में आता है।
4. औषधि वितरण:- लक्षित समूहों की कुल संख्या के सापेक्ष कम है अथवा ग्रामक है।
5. कान्टेक्ट ट्रैसिंग का कार्य:- बेहद शिथिल है। कुल पॉजिटिव केस के सापेक्ष, औसत कान्टेक्ट पर्सन की संख्या 15 के औसत से काफी कम है। समयबद्ध ढंग से और पर्याप्त मात्रा में कान्टेक्ट पर्सन को चिन्हित न करने की वजह से संक्रमित व्यक्तियों के द्वारा अनजाने में समाज में कोविड-संक्रमण की घटना बढ़ सकती है, जो आपकी शिथिल पर्यवेक्षणीय कार्यशैली की वजह से हो रहा है। इसे आपराधिक कृत्य की श्रेणी में माना जायेगा।
6. सैम्प्लिंग कार्य :-
 - कान्टेक्ट सैम्प्लिंग की संख्या कुल पॉजिटिव मरीज व कुल कान्टेक्ट पर्सन के सापेक्ष कम है।
 - सर्विलांस सैम्प्ल- कम है।
 - कम्यूनिटी सैम्प्ल- कम है।
 - लक्ष्य के सापेक्ष RTPCR सैम्प्ल की संख्या- कम है।
 - लक्ष्य के सापेक्ष ANTIGEN सैम्प्ल की संख्या- कम है।
7. पोर्टल फीडिंग कार्य :-
 - A. पोर्टल फीडिंग कालम में अंकित सूचनाएं ग्रामक है। सैम्प्ल आई०डी० व कन्साइमेन्ट जनरेशन कार्य, लक्ष्य के सापेक्ष कम है।
 - B. रिजल्ट अपडेट के कालम में अंकित सूचनाएं अधूरी एवं ग्रामक है।
 - 8. होम आइसोलेशन एप की संख्या होम आइसोलेशन में रह रहे रोगियों की संख्या के सापेक्ष कम है।
 - 9. सर्विलांस कार्य, बेहद अपर्याप्त है। जबकि आपकी PHC क्षेत्र में कोविड संक्रमण की संख्या दिन-प्रतिदिन, काफी तेजी से बढ़ रही है। आपके द्वारा समय से सर्विलांस कार्य रणनीतिक ढंग से न कराये जाने एवं सर्विलांस में चिन्हित व्यक्तियों/रोगियों का स्वास्थ्य उपचार न कराने की वजह से, न सिर्फ कोविड संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं बल्कि दुःखद रूप से, को-मार्बिड व्यक्तियों के समक्ष जीवन-मरण का संकट उपस्थित हो रहा है। यह आपकी गम्भीर लापरवाही का द्योतक है।

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अधिसूचित सुसंगत प्रावधानों एवं अधिनियम के अन्तर्गत कोविड महामारी के दौरान शासकीय कर्मचारियों के लिए विभिन्न दायित्व निर्धारित किये गये हैं। जिनका उल्लंघन दण्डनीय एवं आपराधिक कृत्य घोषित किया गया है।

कृपया उपरोक्त अंकित अनियमितताओं के सम्बंध में स्वयं के हस्ताक्षरयुक्त अपना बिन्दुवार स्पष्टीकरण, आज ही लौटती डाक से प्रेषित करें अथवा स्वयं लेकर नियमित समीक्षा भीटिंग अवधि में अधोहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थित हों। नियत समय में स्पष्टीकरण प्राप्त न होने की दशा में यह माना जाएगा कि आपको उक्त नोटिस के सम्बंध में कुछ नहीं कहना है। तदनुसार इसी नोटिस को आरोप पत्र की मान्यता प्रदान करते हुये आपके विभागीय सक्षम प्राधिकारी के समक्ष, आपके विरुद्ध सुसंगत वैधानिक कार्यवाही किए जाने की आव्याप्ति प्रेषित कर दी जाएगी, जिसकी जिम्मेदारी आपकी स्वयं की होगी। कोविड-19 महामारी जैसे महत्वपूर्ण कार्य के दृष्टिगत आपका उक्त कृत्य, सुसंगत धाराओं में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराये जाने के सम्बंध में विचारणीय हो सकता है।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी महोदय वाराणसी।
2. मुख्य चिकित्साधिकारी वाराणसी को सूचनार्थ एवं इस अपेक्षा के साथ कि अग्रिम कार्यवाही करते हुए उक्त नोटिस को सम्बन्धित कार्मिकी व्यक्तिगत पत्रावली में संरक्षित कराना सुनिश्चित करें।
3. श्री अमित उपाध्याय (क० लि०) को इस आशय से कि सम्बन्धित पी०एच०सी० प्रभारी को नोटिस की एक प्रति आज ही तामील कराते हुए द्वितीय प्रति को सम्बन्धित के सतिथि हस्ताक्षर एवं स्वयं के अभिप्रामाणन के साथ कन्ट्रोल सेन्टर में प्रस्तुत करें।

सहा० नोडल/डिप्टी कलेक्टर
आई०सी०सी०सी०, वाराणसी।

(विनय कुमार सिंह)
सहा० नोडल/डिप्टी कलेक्टर
आई०सी०सी०सी०, वाराणसी।

इंटीग्रेटेड कोविड कमाण्ड एण्ड कन्ट्रोल सेन्टर वाराणसी।

पत्रांक: 01(2) / कोविड19 / नोटिस / 2020

दिनांक : 09.8.2020

नोटिस

डा०सोनल त्रिपाठी
प्रभारी, पी०एच०सी० - आनन्दमयी, वाराणसी।

आप अवगत हैं कि आपदा के रूप में घोषित कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत, जनपद स्तर पर इस महामारी के रोकथाम के प्रभावी एवं समयबद्ध प्रयास आवश्यक है। कृपया समय-समय पर उ० प्र० शासन स्तर से निर्गत विभिन्न शासनादेशों का सन्दर्भ ग्रहण करें।

आपके प्रभार के अन्तर्गत संचालित पी०एच०सी० हेतु, अब तक चिन्हित कोविड-19 पॉजिटिव रोगियों की कुल संख्या और विवरण से आपको समय से अवगत कराया जा चुका है। आपके द्वारा दिनांक: 09.8.2020 के दैनिक कार्यों की समेकित सूचना को, डेली मास्टर रिपोर्ट प्रारूप (11 बिन्दुओं की) पर अंकित कर प्रेषित किया गया है। उक्त रिपोर्ट की समीक्षा करने पश्चात निम्न बिन्दुओं के सम्बंध में आपकी लापरवाही व शिथिलता परिलक्षित हो रही है –

01. दैनिक रिपोर्ट के विभिन्न कालमों में अंकित सूचना, मनमाने ढंग से भरी गयी है अथवा अधूरी है।
02. कुल पॉजिटिव मरीज, मेडिकल आइसोलेशन, होम-आइसोलेशन एवं रिकवर्ड रोगियों के कालम में अंकित सूचनाएं परस्पर विरोधाभासी हैं।
03. R.R.T. द्वारा कोविड रोगियों की कुल संख्या के सापेक्ष किया गया भ्रमण व सत्यापन या तो अपूर्ण है अथवा भ्रामक है। 'नाट अलाउड' रोगियों व 'हास्पिटलाइज्ड' मरीजों की संख्या में भिन्नता है, जिसका अर्थ यह है कि गम्भीर रोगी अथवा होम आइसोलेशन हेतु अपात्र रोगी आपकी लापरवाही से खतरनाक स्थिति में रह रहा है। आपका यह कृत्य मानव जीवन अथवा समाज के लोगों को खतरे में डालने जैसे आपराधिक कृत्य की श्रेणी में आता है।
04. औषधि वितरण:- लक्षित समूहों की कुल संख्या के सापेक्ष कम है अथवा भ्रामक है।
05. कान्टेक्ट ट्रेसिंग का कार्य:- बेहद शिथिल है। कुल पॉजिटिव केस के सापेक्ष, औसत कान्टेक्ट पर्सन की संख्या 15 के औसत से काफी कम है। समयबद्ध ढंग से और पर्याप्त मात्रा में कान्टेक्ट पर्सन को चिन्हित न करने की वजह से संक्रमित व्यक्तियों के द्वारा अनजाने में समाज में कोविड-संक्रमण की घटना बढ़ सकती है, जो आपकी शिथिल पर्यवेक्षणीय कार्यशैली की वजह से हो रहा है। इसे आपराधिक कृत्य की श्रेणी में माना जायेगा।
06. सैम्प्लिंग कार्य :-

 - कान्टेक्ट सैम्प्लिंग की संख्या कुल पाजिटीव मरीज व कुल कान्टेक्ट पर्सन के सापेक्ष कम है।
 - सर्विलांस सैम्प्ल- कम है।
 - कम्यूनिटी सैम्प्ल- कम है।
 - लक्ष्य के सापेक्ष RTPCR सैम्प्ल की संख्या- कम है।
 - लक्ष्य के सापेक्ष ANTIGEN सैम्प्ल की संख्या- कम है।

07. पोर्टल फीडिंग कार्य :-
 A. पोर्टल फीडिंग कालम में अंकित सूचनाएं भ्रामक है। सैम्प्ल आई०डी० व कन्साइंमेन्ट जनरेशन कार्य, लक्ष्य के सापेक्ष कम है।
 B. रिजल्ट अपडेट के कालम में अंकित सूचनाएं अधूरी एवं भ्रामक है।
08. होम आइसोलेशन एप की संख्या होम आइसोलेशन में रह रहे रोगियों की संख्या के सापेक्ष कम है।
09. सर्विलांस कार्य, बेहद अपर्याप्त है। जबकि आपकी PHC क्षेत्र में कोविड संक्रमण की संख्या दिन-प्रतिदिन, काफी तेजी से बढ़ रही है। आपके द्वारा समय से सर्विलांस कार्य रणनीतिक ढंग से न कराये जाने एवं सर्विलांस में चिन्हित व्यक्तियों/रोगियों का स्वास्थ्य उपचार न कराने की वजह से, न सिर्फ कोविड संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं बल्कि दुःखद रूप से, को-मार्बिड व्यक्तियों के समक्ष जीवन-मरण का संकट उपस्थित हो रहा है। यह आपकी गम्भीर लापरवाही का दोषातक है।

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अधिसूचित सुसंगत प्रावधानों एवं अधिनियम के अन्तर्गत कोविड महामारी के दौरान शासकीय कर्मचारियों के लिए विभिन्न दायित्व निर्धारित किये गये हैं। जिनका उल्लंघन दण्डनीय एवं आपराधिक कृत्य घोषित किया गया है।

कृपया उपरोक्त अंकित अनियमिताओं के सम्बंध में स्वयं के हस्ताक्षरयुक्त अपना बिन्दुवार स्पष्टीकरण, आज ही लौटती डाक से प्रेषित करें अथवा स्वयं लेकर नियमित समीक्षा मीटिंग अवधि में अधोहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थित हों। नियत समय में स्पष्टीकरण प्राप्त न होने की दशा में यह माना जाएगा कि आपको उक्त नोटिस के सम्बंध में कुछ नहीं कहना है। तदनुसार इसी नोटिस को आरोप पत्र की मान्यता प्रदान करते हुये आपके विभागीय सक्षम प्राधिकारी के समक्ष, आपके विरुद्ध सुसंगत वैधानिक कार्यवाही किए जाने की आव्याप्ति कर दी जाएगी, जिसकी जिम्मेदारी आपकी स्वयं की होगी। कोविड-19 महामारी जैसे महत्वपूर्ण कार्य के दृष्टिगत आपका उक्त कृत्य, सुसंगत धाराओं में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराये जाने के सम्बंध में विचारणीय हो सकता है।

(विनय कुमार सिंह)

सहा० नोडल / डिप्टी कलेक्टर
आई०डी०सी०सी०, वाराणसी।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

01. जिलाधिकारी महोदय वाराणसी।
02. मुख्य चिकित्साधिकारी वाराणसी को सूचनार्थ एवं इस अपेक्षा के साथ कि अग्रिम कार्यवाही करते हुए उक्त नोटिस को सम्बन्धित कार्मिकी व्यक्तिगत पत्रावली में संरक्षित कराना सुनिश्चित करें।
03. श्री अमित उपाध्याय (क० लि०) को इस आशय से कि सम्बन्धित पी०एच०सी० प्रभारी को नोटिस की एक प्रति आज ही तामील कराते हुए द्वितीय प्रति को सम्बन्धित के सतिथि हस्ताक्षर एवं स्वयं के अभिप्रामाणन के साथ कन्ट्रोल सेन्टर में प्रस्तुत करें।

9 सहा० नोडल X डिप्टी कलेक्टर
आई०डी०सी०सी०, वाराणसी।

इंटीग्रेटेड कोविड कमाण्ड एण्ड कन्ट्रोल सेन्टर वाराणसी।

पत्रांक: 01(3) / कोविड19 / नोटिस / 2020

दिनांक : 09.8.2020

नोटिस

डा०वाई०बी०सिंह

प्रभारी, सी०एच०सी०— अराजीलाईन, वाराणसी।

आप अवगत हैं कि आपदा के रूप में घोषित कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत, जनपद स्तर पर इस महामारी के रोकथाम के प्रभावी एवं समयबद्ध प्रयास आवश्यक है। कृपया समय-समय पर उ० प्र० शासन स्तर से निर्गत विभिन्न शासनादेशों का सन्दर्भ ग्रहण करें।

आपके प्रभार के अन्तर्गत संचालित पी०एच०सी० हेतु, अब तक चिन्हित कोविड-19 पॉजिटिव रोगियों की कुल संख्या और विवरण से आपको समय से अवगत कराया जा चुका है। आपके द्वारा दिनांक: 09.8.2020 के दैनिक कार्यों की समेकित सूचना को, डेली मास्टर रिपोर्ट प्रारूप (11 बिन्दुओं की) पर अंकित कर प्रेषित किया गया है। उक्त रिपोर्ट की समीक्षा करने पश्चात निम्न बिन्दुओं के सम्बंध में आपकी लापरवाही व शिथिलता परिलक्षित हो रही है –

01. दैनिक रिपोर्ट के विभिन्न कालमों में अंकित सूचना, मनमाने ढंग से भरी गयी है अथवा अधूरी है।
02. कुल पॉजिटिव मरीज, मेडिकल आइसोलेशन, होम-आइसोलेशन एवं रिकवर्ड रोगियों के कालम में अंकित सूचनाएं परस्पर विरोधाभासी हैं।
03. R.R.T. द्वारा कोविड रोगियों की कुल संख्या के सापेक्ष किया गया भ्रमण व सत्यापन या तो अपूर्ण है अथवा भ्रामक है। 'नाट अलाउड' रोगियों व 'हास्पिटलाइज्ड' मरीजों की संख्या में भिन्नता है, जिसका अर्थ यह है कि गम्भीर रोगी अथवा होम आइसोलेशन हेतु अपात्र रोगी आपकी लापरवाही से खतरनाक स्थिति में रह रहा है। आपका यह कृत्य मानव जीवन अथवा समाज के लोगों को खतरे में डालने जैसे आपराधिक कृत्य की श्रेणी में आता है।
04. औषधि वितरणः— लक्षित समूहों की कुल संख्या के सापेक्ष कम है अथवा भ्रामक है।
05. कान्टेक्ट ट्रेसिंग का कार्यः— बेहद शिथिल है। कुल पॉजिटिव केस के सापेक्ष, औसत कान्टेक्ट पर्सन की संख्या 15 के औसत से काफी कम है। समयबद्ध ढंग से और पर्याप्त मात्रा में कान्टेक्ट पर्सन को चिन्हित न करने की वजह से संक्रमित व्यक्तियों के द्वारा अनजाने में समाज में कोविड-संक्रमण की घटना बढ़ सकती है, जो आपकी शिथिल पर्यवेक्षणीय कार्यशैली की वजह से हो रहा है। इसे आपराधिक कृत्य की श्रेणी में माना जायेगा।
06. सैम्प्लिंग कार्य :-

 - कान्टेक्ट सैम्प्लिंग की संख्या कुल पाजिटीव मरीज व कुल कान्टेक्ट पर्सन के सापेक्ष कम है।
 - सर्विलांस सैम्प्ल— कम है।
 - कम्प्लीनीटी सैम्प्ल— कम है।
 - लक्ष्य के सापेक्ष RTPCR सैम्प्ल की संख्या— कम है।
 - लक्ष्य के सापेक्ष ANTIGEN सैम्प्ल की संख्या— कम है।

07. पोर्टल फीडिंग कार्य :-

- A. पोर्टल फीडिंग कालम में अंकित सूचनाएं भ्रामक है। सैम्प्ल आई०डी० व कन्साइंमेन्ट जनरेशन कार्य, लक्ष्य के सापेक्ष कम है।
- B. रिजल्ट अपडेट के कालम में अंकित सूचनाएं अधूरी एवं भ्रामक है।

08. होम आइसोलेशन एप की संख्या होम आइसोलेशन में रह रहे रोगियों की संख्या के सापेक्ष कम है।

09. सर्विलांस कार्य, बेहद अपर्याप्त है। जबकि आपकी PHC क्षेत्र में कोविड संक्रमण की संख्या दिन-प्रतिदिन, काफी तेजी से बढ़ रही है। आपके द्वारा समय से सर्विलांस कार्य रणनीतिक ढंग से न कराये जाने एवं सर्विलांस में चिन्हित व्यक्तियों/रोगियों का स्वास्थ्य उपचार न कराने की वजह से, न सिर्फ कोविड संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं बल्कि दुःखद रूप से, को-मार्बिड व्यक्तियों के समक्ष जीवन-मरण का संकट उपस्थित हो रहा है। यह आपकी गम्भीर लापरवाही का द्योतक है।

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अधिसूचित सुसंगत प्रावधानों एवं अधिनियम के अन्तर्गत कोविड महामारी के दौरान शासकीय कर्मचारियों के लिए विभिन्न दायित्व निर्धारित किये गये हैं। जिनका उल्लंघन दण्डनीय एवं आपराधिक कृत्य घोषित किया गया है।

कृपया उपरोक्त अंकित अनियमिताओं के सम्बंध में स्वयं के हस्ताक्षरयुक्त अपना बिन्दुवार स्पष्टीकरण, आज ही लौटती डाक से प्रेषित करें अथवा स्वयं लेकर नियमित समीक्षा भीटिंग अवधि में अधोहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थित हों। नियत समय में स्पष्टीकरण प्राप्त न होने की दशा में यह माना जाएगा कि आपको उक्त नोटिस के सम्बंध में कुछ नहीं कहना है। तदनुसार इसी नोटिस को आरोप पत्र की मान्यता प्रदान करते हुये आपके विभागीय सक्षम प्राधिकारी के समक्ष, आपके विरुद्ध सुसंगत वैधानिक कार्यवाही किए जाने की आख्या प्रेषित कर दी जाएगी, जिसकी जिम्मेदारी आपकी स्वयं की होगी। कोविड-19 महामारी जैसे महत्वपूर्ण कार्य के दृष्टिगत आपका उक्त कृत्य, सुसंगत धाराओं में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराये जाने के सम्बंध में विचारणीय हो सकता है।

प्रतिलिपि— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

01. जिलाधिकारी महोदय वाराणसी।
02. मुख्य चिकित्साधिकारी वाराणसी को सूचनार्थ एवं इस अपेक्षा के साथ कि अग्रिम कार्यवाही करते हुए उक्त नोटिस को सम्बन्धित कार्मिक की व्यक्तिगत पत्रावली में संरक्षित कराना सुनिश्चित करें।
03. श्री अमित उपाध्याय (क० लि०) को इस आशय से कि सम्बन्धित पी०एच०सी० प्रभारी को नोटिस की एक प्रति आज ही तामील कराते हुए द्वितीय प्रति को सम्बन्धित के सतिथि हस्ताक्षर एवं स्वयं के अभिप्रामाणन के साथ कन्ट्रोल सेन्टर में प्रस्तुत करें।

(विनय कुमार सिंह)
सहा० नोडल/डिप्टी कलेक्टर
आई०सी०सी०सी०, वाराणसी।

सहा० नोडल/डिप्टी कलेक्टर
भार्डगमीसी०सी०, वाराणसी।

इंटीग्रेटेड कोविड कमाण्ड एण्ड कन्ट्रोल सेन्टर वाराणसी।

पत्रांक: 01(4)कोविड19 / नोटिस / 2020

दिनांक : 09.8.2020

नोटिस

डा० जैसमिन भट्टी

प्रभारी, पी०एच०सी०— अशफाकनगर, वाराणसी।

आप अवगत हैं कि आपदा के रूप में घोषित कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत, जनपद स्तर पर इस महामारी के रोकथाम के प्रभावी एवं समयबद्ध प्रयास आवश्यक है। कृपया समय-समय पर उ० प्र० शासन स्तर से निर्गत विभिन्न शासनादेशों का सन्दर्भ ग्रहण करें।

आपके प्रभार के अन्तर्गत संचालित पी०एच०सी० हेतु, अब तक चिह्नित कोविड-19 पॉजिटिव रोगियों की कुल संख्या और विवरण से आपको समय से अवगत कराया जा चुका है। आपके द्वारा दिनांक: 09.8.2020 के दैनिक कार्यों की समेकित सूचना को, डेली मास्टर रिपोर्ट प्रारूप (11 बिन्दुओं की) पर अंकित कर प्रेषित किया गया है। उक्त रिपोर्ट की समीक्षा करने पश्चात निम्न बिन्दुओं के सम्बंध में आपकी लापरवाही व शिथिलता परिलक्षित हो रही है —

01. दैनिक रिपोर्ट के विभिन्न कालमों में अंकित सूचना, मनमाने ढंग से भरी गयी है अथवा अधूरी है।
02. कुल पॉजिटिव मरीज, मेडिकल आइसोलेशन, होम-आइसोलेशन एवं रिकवर्ड रोगियों के कालम में अंकित सूचनाएं परस्पर विरोधाभासी हैं।
03. R.R.T. द्वारा कोविड रोगियों की कुल संख्या के सापेक्ष किया गया भ्रमण व सत्यापन या तो अपूर्ण है अथवा भ्रामक है। 'नाट अलाउड' रोगियों व 'हास्पिटलाइज्ड' मरीजों की संख्या में भिन्नता है, जिसका अर्थ यह है कि गम्भीर रोगी अथवा होम आइसोलेशन हेतु अपात्र रोगी आपकी लापरवाही से खतरनाक स्थिति में रह रहा है। आपका यह कृत्य मानव जीवन अथवा समाज के लोगों को खतरे में डालने जैसे आपराधिक कृत्य की श्रेणी में आता है।
04. औषधि वितरणः— लक्षित समूहों की कुल संख्या के सापेक्ष कम है अथवा भ्रामक है।
05. कान्ट्रेक्ट ट्रेसिंग का कार्यः— बेहद शिथिल है। कुल पॉजिटिव केस के सापेक्ष, औसत कान्ट्रेक्ट पर्सन की संख्या 15 के औसत से काफी कम है। समयबद्ध ढंग से और पर्याप्त मात्रा में कान्ट्रेक्ट पर्सन को चिह्नित न करने की वजह से संक्रमित व्यक्तियों के द्वारा अनजाने में समाज में कोविड-संक्रमण की घटना बढ़ सकती है, जो आपकी शिथिल पर्यवेक्षणीय कार्यशैली की वजह से हो रहा है। इसे आपराधिक कृत्य की श्रेणी में माना जायेगा।
06. सैम्प्लिंग कार्य :-

 - कान्ट्रेक्ट सैम्प्लिंग की संख्या कुल पाजिटीव मरीज व कुल कान्ट्रेक्ट पर्सन के सापेक्ष कम है।
 - सर्विलांस सैम्प्ल— कम है।
 - कम्प्यूनिटी सैम्प्ल— कम है।
 - लक्ष्य के सापेक्ष RTPCR सैम्प्ल की संख्या— कम है।
 - लक्ष्य के सापेक्ष ANTIGEN सैम्प्ल की संख्या— कम है।

07. पोर्टल फीडिंग कार्य :-

- A. पोर्टल फीडिंग कालम में अंकित सूचनाएं भ्रामक हैं। सैम्प्ल आई०डी० व कन्साइमेन्ट जनरेशन कार्य, लक्ष्य के सापेक्ष कम है।
- B. रिजल्ट अपडेट के कालम में अंकित सूचनाएं अधूरी एवं भ्रामक हैं।

08. होम आइसोलेशन एप की संख्या होम आइसोलेशन में रह रहे रोगियों की संख्या के सापेक्ष कम है।
09. सर्विलांस कार्य, बेहद अपर्याप्त है। जबकि आपकी PHC क्षेत्र में कोविड संक्रमण की संख्या दिन-प्रतिदिन, काफी तेजी से बढ़ रही है। आपके द्वारा समय से सर्विलांस कार्य रणनीतिक ढंग से न कराये जाने एवं सर्विलांस में चिह्नित व्यक्तियों/रोगियों का स्वास्थ्य उपचार न कराने की वजह से, न सिर्फ कोविड संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं बल्कि दुःखद रूप से, को-मार्बिड व्यक्तियों के समक्ष जीवन-मरण का संकट उपस्थित हो रहा है। यह आपकी गम्भीर लापरवाही का द्योतक है।

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अधिसूचित सुसंगत प्रावधानों एवं अधिनियम के अन्तर्गत कोविड महामारी के दौरान शासकीय कर्मचारियों के लिए विभिन्न दायित्व निर्धारित किये गये हैं। जिनका उल्लंघन दण्डनीय एवं आपराधिक कृत्य घोषित किया गया है।

कृपया उपरोक्त अंकित अनियमितताओं के सम्बंध में स्वयं के हस्ताक्षरयुक्त अपना बिन्दुवार स्पष्टीकरण, आज ही लौटती डाक से प्रेषित करें अथवा स्वयं लेकर नियमित समीक्षा मीटिंग अवधि में अधोहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थित हों। नियत समय में स्पष्टीकरण प्राप्त न होने की दशा में यह माना जाएगा कि आपको उक्त नोटिस के सम्बंध में कुछ नहीं कहना है। तदनुसार इसी नोटिस को आरोप पत्र की मान्यता प्रदान करते हुये आपके विभागीय सक्षम प्राधिकारी के समक्ष, आपके विरुद्ध सुसंगत वैधानिक कार्यवाही किए जाने की आव्याप्ति कर दी जाएगी, जिसकी जिम्मेदारी आपकी स्वयं की होगी। कोविड-19 महामारी जैसे महत्वपूर्ण कार्य के दृष्टिगत आपका उक्त कृत्य, सुसंगत धाराओं में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराये जाने के सम्बंध में विचारणीय हो सकता है।

प्रतिलिपि— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

01. जिलाधिकारी महोदय वाराणसी।
02. मुख्य चिकित्साधिकारी वाराणसी को सूचनार्थ एवं इस अपेक्षा के साथ कि अग्रिम कार्यवाही करते हुए उक्त नोटिस को सम्बन्धित कार्मिक की व्यक्तिगत पत्रावली में संरक्षित कराना सुनिश्चित करें।
03. श्री अमित उपाध्याय (क० लि) को इस आशय से कि सम्बन्धित पी०एच०सी० प्रभारी को नोटिस की एक प्रति आज ही तामील कराते हुए द्वितीय प्रति को सम्बन्धित के सतीथि हस्ताक्षर एवं स्वयं के अभिप्रामाण के साथ कन्ट्रोल सेन्टर में प्रस्तुत करें।

(विनय कुशार सिंह)
सहा० नोडल / डिप्टी कलेक्टर
आई०सी०सी०सी०, वाराणसी।

सहा० नोडल / डिप्टी कलेक्टर
आर्द्धसी०सी०सी० वाराणसी।

इंटीग्रेटेड कोविड कमाण्ड एण्ड कन्ट्रोल सेन्टर वाराणसी।

पत्रांक: 01(5)कोविड19 / नोटिस / 2020

दिनांक : 09.8.2020

नोटिस

डा० अर्चना कुमारी

प्रभारी, पी०एच०सी०— बजरडीहा, वाराणसी।

आप अवगत हैं कि आपदा के रूप में घोषित कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत, जनपद स्तर पर इस महामारी के रोकथाम के प्रभावी एवं समयबद्ध प्रयास आवश्यक है। कृपया समय-समय पर उ० प्र० शासन स्तर से निर्गत विभिन्न शासनादेशों का सन्दर्भ ग्रहण करें।

आपके प्रभार के अन्तर्गत संचालित पी०एच०सी० हेतु, अब तक चिन्हित कोविड-19 पॉजिटिव रोगियों की कुल संख्या और विवरण से आपको समय से अवगत कराया जा चुका है। आपके द्वारा दिनांक: 09.8.2020 के दैनिक कार्यों की समीक्षित सूचना को, डेली मास्टर रिपोर्ट प्रारूप (11 बिन्दुओं की) पर अंकित कर प्रेषित किया गया है। उक्त रिपोर्ट की समीक्षा करने पश्चात निम्न बिन्दुओं के सम्बंध में आपकी लापरवाही व शिथिलता परिलक्षित हो रही है —

01. दैनिक रिपोर्ट के विभिन्न कालमों में अंकित सूचना, मनमाने ढंग से भरी गयी है अथवा अधूरी है।
02. कुल पॉजिटिव मरीज, मेडिकल आइसोलेशन, होम-आइसोलेशन एवं रिकवर्ड रोगियों के कालम में अंकित सूचनाएं परस्पर विरोधाभासी हैं।
03. R.R.T. द्वारा कोविड रोगियों की कुल संख्या के सापेक्ष किया गया भ्रमण व सत्यापन या तो अपूर्ण है अथवा भ्रामक है। 'नाट अलाउड' रोगियों व 'हास्पिटलाइज्ड' मरीजों की संख्या में भिन्नता है, जिसका अर्थ यह है कि गम्भीर रोगी अथवा होम आइसोलेशन हेतु अपात्र रोगी आपकी लापरवाही से खतरनाक स्थिति में रह रहा है। आपका यह कृत्य मानव जीवन अथवा समाज के लोगों को खतरे में डालने जैसे आपराधिक कृत्य की श्रेणी में आता है।
04. औषधि वितरणः— लक्षित समूहों की कुल संख्या के सापेक्ष कम है अथवा भ्रामक है।
05. कान्टेक्ट ट्रेसिंग का कार्यः— बेहद शिथिल है। कुल पॉजिटिव केस के सापेक्ष, औसत कान्टेक्ट पर्सन की संख्या 15 के औसत से काफी कम है। समयबद्ध ढंग से और पर्याप्त मात्रा में कान्टेक्ट पर्सन को चिन्हित न करने की वजह से संक्रमित व्यक्तियों के द्वारा अनजाने में समाज में कोविड-संक्रमण की घटना बढ़ सकती है, जो आपकी शिथिल पर्यवेक्षणीय कार्यशैली की वजह से हो रहा है। इसे आपराधिक कृत्य की श्रेणी में माना जायेगा।
06. सैम्प्लिंग कार्य :-

 - कान्टेक्ट सैम्प्लिंग की संख्या कुल पाजिटीव मरीज व कुल कान्टेक्ट पर्सन के सापेक्ष कम है।
 - सर्विलांस सैम्प्ल— कम है।
 - कम्यूनिटी सैम्प्ल— कम है।
 - लक्ष्य के सापेक्ष RTPCR सैम्प्ल की संख्या— कम है।
 - लक्ष्य के सापेक्ष ANTIGEN सैम्प्ल की संख्या— कम है।

07. पोर्टल फीडिंग कार्य :-

- A. पोर्टल फीडिंग कालम में अंकित सूचनाएं भ्रामक हैं। सैम्प्ल आई०डी० व कन्साइमेन्ट जनरेशन कार्य, लक्ष्य के सापेक्ष कम है।
- B. रिजल्ट अपडेट के कालम में अंकित सूचनाएं अधूरी एवं भ्रामक हैं।

08. होम आइसोलेशन एवं की संख्या होम आइसोलेशन में रह रहे रोगियों की संख्या के सापेक्ष कम है।

09. सर्विलांस कार्य, बेहद अपर्याप्त है। जबकि आपकी PHC क्षेत्र में कोविड संक्रमण की संख्या दिन-प्रतिदिन, काफी तेजी से बढ़ रही है। आपके द्वारा समय से सर्विलांस कार्य रणनीतिक ढंग से न कराये जाने एवं सर्विलांस में चिन्हित व्यक्तियों/रोगियों का स्वास्थ्य उपचार न कराने की वजह से, न सिर्फ कोविड संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं बल्कि दुःखद रूप से, को-मार्बिड व्यक्तियों के समक्ष जीवन-मरण का संकट उपस्थित हो रहा है। यह आपकी गम्भीर लापरवाही का द्योतक है।

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अधिसूचित सुसंगत प्रावधानों एवं अधिनियम के अन्तर्गत कोविड महामारी के दौरान शासकीय कर्मचारियों के लिए विभिन्न दायित्व निर्धारित किये गये हैं। जिनका उल्लंघन दण्डनीय एवं आपराधिक कृत्य घोषित किया गया है।

कृपया उपरोक्त अंकित अनियमितताओं के सम्बंध में स्वयं के हस्ताक्षरयुक्त अपना बिन्दुवार स्पष्टीकरण, आज ही लौटती डाक से प्रेषित करें अथवा स्वयं लेकर नियमित समीक्षा मीटिंग अवधि में अधोहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थित हों। नियत समय में स्पष्टीकरण प्राप्त न होने की दशा में यह माना जाएगा कि आपको उक्त नोटिस के सम्बंध में कुछ नहीं कहना है। तदनुसार इसी नोटिस को आरोप पत्र की मान्यता प्रदान करते हुये आपके विभागीय सक्षम प्राधिकारी के समक्ष, आपके विलद्ध सुसंगत वैधानिक कार्यवाही किए जाने की आश्या प्रेषित कर दी जाएगी, जिसकी जिम्मेदारी आपकी स्वयं की होगी। कोविड-19 महामारी जैसे महत्वपूर्ण कार्य के दृष्टिगत आपका उक्त कृत्य, सुसंगत धाराओं में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराये जाने के सम्बंध में विचारणीय हो सकता है।

प्रतिलिपि— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

01. जिलाधिकारी महोदय वाराणसी।
02. मुख्य विकासाधिकारी वाराणसी को सूचनार्थ एवं इस अपेक्षा के साथ कि अग्रिम कार्यवाही करते हुए उक्त नोटिस को सम्बन्धित कार्मिक की व्यक्तिगत पत्रावली में संरक्षित कराना सुनिश्चित करें।
03. श्री अमित उपाध्याय (क० लि०) को इस आशय से कि सम्बन्धित पी०एच०सी० प्रभारी को नोटिस की एक प्रति आज ही तारीफ कराते हुए द्वितीय प्रति को सम्बन्धित के सतीश्च हस्ताक्षर एवं स्वयं के अभिप्रमाणन के साथ कन्ट्रोल सेंटर में प्रस्तुत करें।

(विनय कुमार सिंह)
सहा० नोडल / डिप्टी कलेक्टर
आई०सी०सी०सी०, वाराणसी।

सहा० नोडल / डिप्टी कलेक्टर
आई०सी०सी०सी०, वाराणसी।

इंटीग्रेटेड कोविड कमाण्ड एण्ड कन्ट्रोल सेन्टर वाराणसी।

पत्रांक: 01(6)कोविड19 / नोटिस / 2020

दिनांक : 09.8.2020

नोटिस

डा० मनीषा पाण्डेय

प्रभारी, पी०एच०सी०— भेलपुर, वाराणसी।

आप अवगत हैं कि आपदा के रूप में घोषित कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत, जनपद स्तर पर इस महामारी के रोकथाम के प्रभावी एवं समयबद्ध प्रयास आवश्यक है। कृपया समय-समय पर उ० प्र० शासन स्तर से निर्गत विभिन्न शासनादेशों का सन्दर्भ ग्रहण करें।

आपके प्रभार के अन्तर्गत संचालित पी०एच०सी० हेतु, अब तक चिह्नित कोविड-19 पॉजिटिव रोगियों की कुल संख्या और विवरण से आपको समय से अवगत कराया जा चुका है। आपके द्वारा दिनांक: 09.8.2020 के दैनिक कार्यों की समेकित सूचना को, डेली मास्टर रिपोर्ट प्रारूप (11 बिन्दुओं की) पर अंकित कर प्रेषित किया गया है। उक्त रिपोर्ट की समीक्षा करने पश्चात निम्न विन्दुओं के सम्बंध में आपकी लापरवाही व शिथिलता परिलक्षित हो रही है —

01. दैनिक रिपोर्ट के विभिन्न कालमों में अंकित सूचना, मनमाने ढंग से भरी गयी है अथवा अधूरी है।
02. कुल पॉजिटिव मरीज, मेडिकल आइसोलेशन, होम-आइसोलेशन एवं रिकवर्ड रोगियों के कालम में अंकित सूचनाएं परस्पर विरोधाभासी हैं।
03. R.R.T. द्वारा कोविड रोगियों की कुल संख्या के सापेक्ष किया गया भ्रमण व सत्यापन या तो अपूर्ण है अथवा भ्रामक है। 'नाट अलाउड' रोगियों व 'हास्पिटलाइज्ड' मरीजों की संख्या में भिन्नता है, जिसका अर्थ यह है कि गम्भीर रोगी अथवा होम आइसोलेशन हेतु आपात्र रोगी आपकी लापरवाही से खतरनाक स्थिति में रह रहा है। आपका यह कृत्य मानव जीवन अथवा समाज के लोगों को खतरे में डालने जैसे आपराधिक कृत्य की श्रेणी में आता है।
04. औषधि वितरणः— लक्षित समूहों की कुल संख्या के सापेक्ष कम है अथवा भ्रामक है।
05. कान्टेक्ट ट्रेसिंग का कार्यः— बेहद शिथिल है। कुल पॉजिटिव केस के सापेक्ष, औसत कान्टेक्ट पर्सन की संख्या 15 के औसत से काफी कम है। समयबद्ध ढंग से और पर्याप्त मात्रा में कान्टेक्ट पर्सन को चिह्नित न करने की वजह से संक्रमित व्यक्तियों के द्वारा अनजाने में समाज में कोविड-संक्रमण की घटना बढ़ सकती है, जो आपकी शिथिल पर्यवेक्षणीय कार्यशैली की वजह से हो रहा है। इसे आपराधिक कृत्य की श्रेणी में माना जायेगा।
06. सैम्प्लिंग कार्यः—
 - कान्टेक्ट सैम्प्लिंग की संख्या कुल पाजिटीव मरीज व कुल कान्टेक्ट पर्सन के सापेक्ष कम है।
 - सर्विलांस सैम्प्ल— कम है।
 - कम्प्युनिटी सैम्प्ल— कम है।
 - लक्ष्य के सापेक्ष RTPCR सैम्प्ल की संख्या— कम है।
 - लक्ष्य के सापेक्ष ANTIGEN सैम्प्ल की संख्या— कम है।
07. पोर्टल फीडिंग कार्यः—
 - A. पोर्टल फीडिंग कालम में अंकित सूचनाएं भ्रामक हैं। सैम्प्ल आई०डी० व कन्साइंमेन्ट जनरेशन कार्य, लक्ष्य के सापेक्ष कम है।
 - B. रिजल्ट अपडेट के कालम में अंकित सूचनाएं अधूरी एवं भ्रामक हैं।
08. होम आइसोलेशन एप की संख्या होम आइसोलेशन में रह रहे रोगियों की संख्या के सापेक्ष कम है।
09. सर्विलांस कार्य, बेहद अपर्याप्त है। जबकि आपकी PHC क्षेत्र में कोविड संक्रमण की संख्या दिन-प्रतिदिन, काफी तेजी से बढ़ रही है। आपके द्वारा समय से सर्विलांस कार्य रणनीतिक ढंग से न कराये जाने एवं सर्विलांस में चिह्नित व्यक्तियों/रोगियों का स्वारथ्य उपचार न कराने की वजह से, न सिर्फ कोविड संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं बल्कि दुःखद रूप से, को-मार्बिड व्यक्तियों के समक्ष जीवन-मरण का संकट उपस्थित हो रहा है। यह आपकी गम्भीर लापरवाही का द्योतक है।

उत्तर द्वारा सरकार द्वारा अधिसूचित सुसंगत प्रावधानों एवं अधिनियम के अन्तर्गत कोविड महामारी के दौरान शासकीय कर्मचारियों के लिए विभिन्न दायित्व निर्धारित किये गये हैं। जिनका उल्लंघन दण्डनीय एवं आपराधिक कृत्य घोषित किया गया है।

कृपया उपरोक्त अंकित अनियमिताओं के सम्बंध में स्वयं के हस्ताक्षरयुक्त अपना बिन्दुवार स्पष्टीकरण, आज ही लौटती डाक से प्रेषित करें अथवा स्वयं लेकर नियमित समीक्षा मीटिंग अवधि में अधोहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थित हों। नियत समय में स्पष्टीकरण प्राप्त न होने की दशा में यह माना जाएगा कि आपको उक्त नोटिस के सम्बंध में कुछ नहीं कहना है। तदनुसार इसी नोटिस को आरोप पत्र की मान्यता प्रदान करते हुये आपके विभागीय सक्षम प्राधिकारी के समक्ष, आपके विरुद्ध सुसंगत वैधानिक कार्यवाही किए जाने की आख्या प्रेषित कर दी जाएगी, जिसकी जिम्मेदारी आपकी स्वयं की होगी। कोविड-19 महामारी जैसे महत्वपूर्ण कार्य के दृष्टिगत आपका उक्त कृत्य, सुसंगत धाराओं में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराये जाने के सम्बंध में विचारणीय हो सकता है।

प्रतिलिपि— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

01. जिलाधिकारी महोदय वाराणसी।
02. मुख्य विकासाधिकारी वाराणसी को सूचनार्थ एवं इस अपेक्षा के साथ कि अग्रिम कार्यवाही करते हुए उक्त नोटिस को सम्बन्धित कार्मिक की व्यक्तिगत पत्रावली में संरक्षित कराना सुनिश्चित करें।
03. श्री अमित उपाध्याय (क० लिज) को इस आशय से कि सम्बन्धित पी०एच०सी० प्रभारी को नोटिस की एक प्रति आज ही तामील कराते हुए द्वितीय प्रति को सम्बन्धित के सतिथि हस्ताक्षर एवं स्वयं के अभिप्रामाणन के साथ कन्ट्रोल सेन्टर में प्रस्तुत करें।

(विनय कुमार सिंह)
सहा० नोडल/डिप्टी कलेक्टर

आई०सी०सी०सी०, वाराणसी।

सहा० नोडल/डिप्टी कलेक्टर
आई०सी०सी०सी०, वाराणसी।

इंटीग्रेटेड कोविड कमाण्ड एण्ड कन्ट्रोल सेन्टर वाराणसी।

पत्रांक: 01(7)कोविड19 / नोटिस / 2020

दिनांक : 09.8.2020

नोटिस

डा० मधु पाण्डेय

प्रभारी, पी०एच०सी०— कैण्टोमेण्ट, वाराणसी।

आप अवगत हैं कि आपदा के रूप में घोषित कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत, जनपद स्तर पर इस महामारी के रोकथाम के प्रभावी एवं समयबद्ध प्रयास आवश्यक है। कृपया समय-समय पर उ० प्र० शासन स्तर से निर्गत विभिन्न शासनादेशों का सन्दर्भ ग्रहण करें।

आपके प्रभार के अन्तर्गत संचालित पी०एच०सी० हेतु, अब तक चिन्हित कोविड-19 पॉजिटिव रोगियों की कुल संख्या और विवरण से आपको समय से अवगत कराया जा चुका है। आपके द्वारा दिनांक: 09.8.2020 के दैनिक कार्यों की समेकित सूचना को, डेली मास्टर रिपोर्ट प्रारूप (11 बिन्दुओं की) पर अंकित कर प्रेषित किया गया है। उक्त रिपोर्ट की समीक्षा करने पश्चात निम्न बिन्दुओं के सम्बंध में आपकी लापरवाही व शिथिलता परिलक्षित हो रही है –

01. दैनिक रिपोर्ट के विभिन्न कालमों में अंकित सूचना, मनमाने ढंग से भरी गयी है अथवा अधूरी है।
02. कुल पॉजिटिव मरीज, मेडिकल आइसोलेशन, होम-आइसोलेशन एवं रिकवर्ड रोगियों के कालम में अंकित सूचनाएं परस्पर विरोधाभासी हैं।
03. R.R.T. द्वारा कोविड रोगियों की कुल संख्या के सापेक्ष किया गया भ्रमण व सत्यापन या तो अपूर्ण है अथवा भ्रामक है। 'नाट अलाउड' रोगियों व 'हाप्सिटलाइज्ड' मरीजों की संख्या में भिन्नता है, जिसका अर्थ यह है कि गम्भीर रोगी अथवा होम आइसोलेशन हेतु अपात्र रोगी आपकी लापरवाही से खतरनाक स्थिति में रह रहा है। आपका यह कृत्य मानव जीवन अथवा समाज के लोगों को खतरे में डालने जैसे आपराधिक कृत्य की श्रेणी में आता है।
04. औषधि वितरण:- लक्षित समूहों की कुल संख्या के सापेक्ष कम है अथवा भ्रामक है।
05. कान्टेक्ट ट्रैसिंग का कार्य:- बेहद शिथिल है। कुल पॉजिटिव केस के सापेक्ष, औसत कान्टेक्ट पर्सन की संख्या 15 के औसत से काफी कम है। समयबद्ध ढंग से और पर्याप्त मात्रा में कान्टेक्ट पर्सन को चिन्हित न करने की वजह से संक्रमित व्यक्तियों के द्वारा अनजाने में समाज में कोविड-संक्रमण की घटना बढ़ सकती है, जो आपकी शिथिल पर्यवेक्षणीय कार्यशैली की वजह से हो रहा है। इसे आपराधिक कृत्य की श्रेणी में माना जायेगा।
06. सैम्प्लिंग कार्य :-
 - कान्टेक्ट सैम्प्लिंग की संख्या कुल पाजिटीव मरीज व कुल कान्टेक्ट पर्सन के सापेक्ष कम है।
 - सर्विलांस सैम्प्ल- कम है।
 - कम्प्लनिटी सैम्प्ल- कम है।
 - लक्ष्य के सापेक्ष RTPCR सैम्प्ल की संख्या- कम है।
 - लक्ष्य के सापेक्ष ANTIGEN सैम्प्ल की संख्या- कम है।

07. पोर्टल फीडिंग कार्य :-

- A. पोर्टल फीडिंग कालम में अंकित सूचनाएं भ्रामक हैं। सैम्प्ल आई०डी० व कन्साइमेन्ट जनरेशन कार्य, लक्ष्य के सापेक्ष कम है।
- B. रिजल्ट अपडेट के कालम में अंकित सूचनाएं अधूरी एवं भ्रामक हैं।

08. होम आइसोलेशन एप की संख्या होम आइसोलेशन में रह रहे रोगियों की संख्या के सापेक्ष कम है।

09. सर्विलांस कार्य, बेहद अपर्याप्त है। जबकि आपकी PHC क्षेत्र में कोविड संक्रमण की संख्या दिन-प्रतिदिन, काफी तेजी से बढ़ रही है। आपके द्वारा समय से सर्विलांस कार्य रणनीतिक ढंग से न कराये जाने एवं सर्विलांस में चिन्हित व्यक्तियों/रोगियों का स्वास्थ्य उपचार न कराने की वजह से, न सिर्फ कोविड संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं बल्कि दुःखद रूप से, को-मार्बिड व्यक्तियों के समक्ष जीवन-मरण का संकट उपस्थित हो रहा है। यह आपकी गम्भीर लापरवाही का द्योतक है।

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अधिसूचित सुसंगत प्रावधानों एवं अधिनियम के अन्तर्गत कोविड महामारी के दौरान शासकीय कर्मचारियों के लिए विभिन्न दायित्व निर्धारित किये गये हैं। जिनका उल्लंघन दण्डनीय एवं आपराधिक कृत्य घोषित किया गया है।

कृपया उपरोक्त अंकित अनियमितताओं के सम्बंध में स्वयं के हस्ताक्षरयुक्त अपना बिन्दुवार स्पष्टीकरण, आज ही लौटती डाक से प्रेषित करें अथवा स्वयं लेकर नियमित समीक्षा मीटिंग अवधि में अधोहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थित हों। नियत समय में स्पष्टीकरण प्राप्त न होने की दशा में यह माना जाएगा कि आपको उक्त नोटिस के सम्बंध में कुछ नहीं कहना है। तदनुसार इसी नोटिस को आरोप पत्र की मान्यता प्रदान करते हुये आपके विभागीय सक्षम प्राधिकारी के समक्ष, आपके विरुद्ध सुसंगत वैधानिक कार्यवाही किए जाने की आव्याप्ति कर दी जाएगी, जिसकी जिम्मेदारी आपकी स्वयं की होगी। कोविड-19 महामारी जैसे महत्वपूर्ण कार्य के दृष्टिगत आपका उक्त कृत्य, सुसंगत धाराओं में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराये जाने के सम्बंध में विचारणीय हो सकता है।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

01. जिलाधिकारी महोदय वाराणसी।
02. मुख्य चिकित्साधिकारी वाराणसी को सूचनार्थ एवं इस अपेक्षा के साथ कि अग्रिम कार्यवाही करते हुए उक्त नोटिस को सम्बन्धित कार्मिक की व्यक्तिगत पत्रावली में संरक्षित कराना सुनिश्चित करें।
03. श्री अमित उपाध्याय (क० लिं०) को इस आशय से कि सम्बन्धित पी०एच०सी० प्रभारी को नोटिस की एक प्रति आज ही तामील कराते हुए द्वितीय प्रति को सम्बन्धित के सतिथि हस्ताक्षर एवं स्वयं के अभिप्रामाणन के साथ कन्ट्रोल सेन्टर में प्रस्तुत करें।

(विनय कुमार सिंह)
सहा० नोडल / डिप्टी कलेक्टर
आई०सी०सी०सी०, वाराणसी।

(विनय कुमार सिंह)
सहा० नोडल / डिप्टी कलेक्टर
आई०सी०सी०सी०, वाराणसी।

इंटीग्रेटेड कोविड कमाण्ड एण्ड कन्ट्रोल सेन्टर वाराणसी।

पत्रांक: 01(8)कोविड19 / नोटिस / 2020

दिनांक : 09.8.2020

नोटिस

डा० अमित सिंह

प्रभारी, पी०एच०सी०— चिरइंगॉव, वाराणसी।

आप अवगत हैं कि आपदा के रूप में घोषित कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत, जनपद स्तर पर इस महामारी के रोकथाम के प्रभावी एवं समयबद्ध प्रयास आवश्यक है। कृपया समय-समय पर उ० प्र० शासन स्तर से निर्गत विभिन्न शासनादेशों का सन्दर्भ ग्रहण करें।

आपके प्रभार के अन्तर्गत संचालित पी०एच०सी० हेतु, अब तक चिह्नित कोविड-19 पॉजिटिव रोगियों की कुल संख्या और विवरण से आपको समय से अवगत कराया जा चुका है। आपके द्वारा दिनांक: 09.8.2020 के दैनिक कार्यों की समेकित सूचना को, डेली मास्टर रिपोर्ट प्रारूप (11 बिन्दुओं की) पर अंकित कर प्रेषित किया गया है। उक्त रिपोर्ट की समीक्षा करने पश्चात निम्न बिन्दुओं के सम्बंध में आपकी लापरवाही व शिथिलता परिलक्षित हो रही है –

01. दैनिक रिपोर्ट के विभिन्न कालमों में अंकित सूचना, मनमाने ढंग से भरी गयी है अथवा अधूरी है।
02. कुल पॉजिटिव मरीज, मेडिकल आइसोलेशन, होम-आइसोलेशन एवं रिकवर्ड रोगियों के कालम में अंकित सूचनाएं परस्पर विरोधाभासी हैं।
03. R.R.T. द्वारा कोविड रोगियों की कुल संख्या के सापेक्ष किया गया भ्रमण व सत्यापन या तो अपूर्ण है अथवा भ्रामक है। 'नाट अलाउड' रोगियों व 'हास्पिटलाइज्ड' मरीजों की संख्या में भिन्नता है, जिसका अर्थ यह है कि गम्भीर रोगी अथवा होम आइसोलेशन हेतु अपात्र रोगी आपकी लापरवाही से खतरनाक स्थिति में रह रहा है। आपका यह कृत्य मानव जीवन अथवा समाज के लोगों को खतरे में डालने जैसे आपराधिक कृत्य की श्रेणी में आता है।
04. औषधि वितरण:- लक्षित समूहों की कुल संख्या के सापेक्ष कम है अथवा भ्रामक है।
05. कान्टेक्ट ट्रेसिंग का कार्य:- बेहद शिथिल है। कुल पॉजिटिव केस के सापेक्ष, औसत कान्टेक्ट पर्सन की संख्या 15 के औसत से काफी कम है। समयबद्ध ढंग से और पर्याप्त मात्रा में कान्टेक्ट पर्सन को चिह्नित न करने की वजह से संक्रमित व्यक्तियों के द्वारा अनजाने में समाज में कोविड-संक्रमण की घटना बढ़ सकती है, जो आपकी शिथिल पर्यवेक्षणीय कार्यशैली की वजह से हो रहा है। इसे आपराधिक कृत्य की श्रेणी में माना जायेगा।
06. सैम्प्लिंग कार्य :-
 - कान्टेक्ट सैम्प्लिंग की संख्या कुल पाजिटीव मरीज व कुल कान्टेक्ट पर्सन के सापेक्ष कम है।
 - सर्विलांस सैम्प्ल- कम है।
 - कम्प्यूनिटी सैम्प्ल- कम है।
 - लक्ष्य के सापेक्ष RTPCR सैम्प्ल की संख्या- कम है।
 - लक्ष्य के सापेक्ष ANTIGEN सैम्प्ल की संख्या- कम है।
07. पोर्टल फीडिंग कार्य :-
 - A. पोर्टल फीडिंग कालम में अंकित सूचनाएं भ्रामक है। सैम्प्ल आई०डी० व कन्साइंमेन्ट जनरेशन कार्य, लक्ष्य के सापेक्ष कम है।
 - B. रिजल्ट अपडेट के कालम में अंकित सूचनाएं अधूरी एवं भ्रामक है।
08. होम आइसोलेशन एप की संख्या होम आइसोलेशन में रह रहे रोगियों की संख्या के सापेक्ष कम है।
09. सर्विलांस कार्य, बेहद अपर्याप्त है। जबकि आपकी PHC क्षेत्र में कोविड संक्रमण की संख्या दिन-प्रतिदिन, काफी तेजी से बढ़ रही है। आपके द्वारा समय से सर्विलांस कार्य रणनीतिक ढंग से न कराये जाने एवं सर्विलांस में चिह्नित व्यक्तियों/रोगियों का स्वास्थ्य उपचार न कराने की वजह से, न सिर्फ कोविड संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं बल्कि दुःखद रूप से, को-मार्बिड व्यक्तियों के समक्ष जीवन-मरण का संकट उपस्थित हो रहा है। यह आपकी गम्भीर लापरवाही का घोटक है।

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अधिसूचित सुसंगत प्रावधानों एवं अधिनियम के अन्तर्गत कोविड महामारी के दौरान शासकीय कर्मचारियों के लिए विभिन्न दायित्व निर्धारित किये गये हैं। जिनका उल्लंघन दण्डनीय एवं आपराधिक कृत्य घोषित किया गया है।

कृपया उपरोक्त अंकित अनियमितताओं के सम्बंध में स्वयं के हस्ताक्षरयुक्त अपना बिन्दुवार स्पष्टीकरण, आज ही लौटती डाक से प्रेषित करें अथवा स्वयं लेकर नियमित समीक्षा मीटिंग अवधि में अधोहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थित हों। नियत समय में स्पष्टीकरण प्राप्त न होने की दशा में यह माना जाएगा कि आपको उक्त नोटिस के सम्बंध में कुछ नहीं कहना है। तदनुसार इसी नोटिस को आरोप पत्र की मान्यता प्रदान करते हुये आपके विभागीय सक्षम प्राधिकारी के समक्ष, आपके विरुद्ध सुसंगत वैधानिक कार्यवाही किए जाने की आख्या प्रेषित कर दी जाएगी, जिसकी जिम्मेदारी आपकी स्वयं की होगी। कोविड-19 महामारी जैसे महत्वपूर्ण कार्य के दृष्टिगत आपका उक्त कृत्य, सुसंगत धाराओं में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराये जाने के सम्बंध में विचारणीय हो सकता है।

(विनय कुमार सिंह)

सहा० नोडल / डिप्टी कलेक्टर
आई०सी०सी०सी०, वाराणसी।

प्रतिलिपि— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

01. जिलाधिकारी महोदय वाराणसी।
02. मुख्य चिकित्साधिकारी वाराणसी को सूचनार्थ एवं इस अपेक्षा के साथ कि अग्रिम कार्यवाही करते हुए उक्त नोटिस को सम्बन्धित कार्मिक की व्यक्तिगत पत्रावली में संरक्षित कराना सुनिश्चित करें।
03. श्री अमित उपाध्याय (क० लि०) को इस आशय से कि सम्बन्धित पी०एच०सी० प्रभारी को नोटिस की एक प्रति आज ही तारीफ कराते हुए द्वितीय प्रति को सम्बन्धित के सतिथि हस्ताक्षर एवं स्वयं के अभिप्रामाणन के साथ कन्ट्रोल सेन्टर में प्रस्तुत करें।

9 सहा० नोडल / डिप्टी कलेक्टर
आई०सी०सी०सी०, वाराणसी।

इंटीग्रेटेड कोविड कमाण्ड एण्ड कन्ट्रोल सेन्टर वाराणसी।

पत्रांक: 01(9)कोविड19 / नोटिस / 2020

दिनांक : 09.8.2020

नोटिस

डा० आर०बी०यादव,
प्रभारी, सी०एच०सी०— चौलापुर, वाराणसी।

आप अवगत हैं कि आपदा के रूप में घोषित कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत, जनपद स्तर पर इस महामारी के रोकथाम के प्रभावी एवं समयबद्ध प्रयास आवश्यक है। कृपया समय-समय पर उठ प्र० शासन स्तर से निर्गत विभिन्न शासनादेशों का सन्दर्भ ग्रहण करें।

आपके प्रभार के अन्तर्गत संचालित पी०एच०सी० हेतु, अब तक चिह्नित कोविड-19 पॉजिटिव रोगियों की कुल संख्या और विवरण से आपको समय से अवगत कराया जा चुका है। आपके द्वारा दिनांक: 09.8.2020 के दैनिक कार्यों की समेकित सूचना को, डेली मास्टर रिपोर्ट प्रारूप (11 बिन्दुओं की) पर अंकित कर प्रेषित किया गया है। उक्त रिपोर्ट की समीक्षा करने पश्चात निम्न बिन्दुओं के सम्बंध में आपकी लापरवाही व शिथिलता परिलक्षित हो रही है –

01. दैनिक रिपोर्ट के विभिन्न कालमों में अंकित सूचना, मनमाने ढंग से भरी गयी है अथवा अधूरी है।
02. कुल पॉजिटिव मरीज, मेडिकल आइसोलेशन, होम-आइसोलेशन एवं रिकवर्ड रोगियों के कालम में अंकित सूचनाएं परस्पर विरोधाभासी हैं।
03. R.R.T. द्वारा कोविड रोगियों की कुल संख्या के सापेक्ष किया गया भ्रमण व सत्यापन या तो अपूर्ण है अथवा भ्रामक है। 'नाट अलाउड' रोगियों व 'हास्पिटलाइज्ड' मरीजों की संख्या में भिन्नता है, जिसका अर्थ यह है कि गम्भीर रोगी अथवा होम आइसोलेशन हेतु अपात्र रोगी आपकी लापरवाही से खतरनाक स्थिति में रह रहा है। आपका यह कृत्य मानव जीवन अथवा समाज के लोगों को खतरे में डालने जैसे आपराधिक कृत्य की श्रेणी में आता है।
04. औषधि वितरणः— लक्षित समूहों की कुल संख्या के सापेक्ष कम है अथवा भ्रामक है।
05. कान्टेक्ट ट्रेसिंग का कार्यः— बेहद शिथिल है। कुल पॉजिटिव केस के सापेक्ष, औसत कान्टेक्ट पर्सन की संख्या 15 के औसत से काफी कम है। समयबद्ध ढंग से और पर्याप्त मात्रा में कान्टेक्ट पर्सन को चिह्नित न करने की वजह से संक्रमित व्यक्तियों के द्वारा अनजाने में समाज में कोविड-संक्रमण की घटना बढ़ सकती है, जो आपकी शिथिल पर्यवेक्षणीय कार्यशैली की वजह से हो रहा है। इसे आपराधिक कृत्य की श्रेणी में माना जायेगा।
06. सैम्प्लिंग कार्य :—
 - कान्टेक्ट सैम्प्लिंग की संख्या कुल पाजिटीव मरीज व कुल कान्टेक्ट पर्सन के सापेक्ष कम है।
 - सर्विलांस सैम्प्ल— कम है।
 - कम्यूनिटी सैम्प्ल— कम है।
 - लक्ष्य के सापेक्ष RTPCR सैम्प्ल की संख्या— कम है।
 - लक्ष्य के सापेक्ष ANTIGEN सैम्प्ल की संख्या— कम है।

07. पोर्टल फीडिंग कार्य :—
 - A. पोर्टल फीडिंग कालम में अंकित सूचनाएं भ्रामक है। सैम्प्ल आई०डी० व कन्साइंमेन्ट जनरेशन कार्य, लक्ष्य के सापेक्ष कम है।
 - B. रिजल्ट अपडेट के कालम में अंकित सूचनाएं अधूरी एवं भ्रामक है।
08. होम आइसोलेशन एप की संख्या होम आइसोलेशन में रह रहे रोगियों की संख्या के सापेक्ष कम है।
09. सर्विलांस कार्य, बेहद अपर्याप्त है। जबकि आपकी PHC क्षेत्र में कोविड संक्रमण की संख्या दिन-प्रतिदिन, काफी तेजी से बढ़ रही है। आपके द्वारा समय से सर्विलांस कार्य रणनीतिक ढंग से न कराये जाने एवं सर्विलांस में चिह्नित व्यक्तियों/रोगियों का स्वास्थ्य उपचार न कराने की वजह से, न सिर्फ कोविड संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं बल्कि दुःखद रूप से, को-मार्बिड व्यक्तियों के समक्ष जीवन-मरण का संकट उपस्थित हो रहा है। यह आपकी गम्भीर लापरवाही का द्योतक है।

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अधिसूचित सुसंगत प्रावधानों एवं अधिनियम के अन्तर्गत कोविड महामारी के दौरान शासकीय कर्मचारियों के लिए विभिन्न दायित्व निर्धारित किये गये हैं। जिनका उल्लंघन दण्डनीय एवं आपराधिक कृत्य घोषित किया गया है।

कृपया उपरोक्त अंकित अनियमितताओं के सम्बंध में स्वयं के हस्ताक्षरयुक्त अपना बिन्दुवार स्पष्टीकरण, आज ही लौटती डाक से प्रेषित करें अथवा स्वयं लेकर नियमित समीक्षा मीटिंग अवधि में अधोहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थित हों। नियत समय में स्पष्टीकरण प्राप्त न होने की दशा में यह माना जाएगा कि आपको उक्त नोटिस के सम्बंध में कुछ नहीं कहना है। तदनुसार इसी नोटिस को आरोप पत्र की मान्यता प्रदान करते हुये आपके विभागीय सक्षम प्राधिकारी के समक्ष, आपके विरुद्ध सुसंगत वैधानिक कार्यवाही किए जाने की आख्या प्रेषित कर दी जाएगी, जिसकी जिम्मेदारी आपकी स्वयं की होगी। कोविड-19 महामारी जैसे महत्वपूर्ण कार्य के दृष्टिगत आपका उक्त कृत्य, सुसंगत धाराओं में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराये जाने के सम्बंध में विचारणीय हो सकता है।

प्रतिलिपि— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

01. जिलाधिकारी महोदय वाराणसी।
02. मुख्य विकासाधिकारी वाराणसी को सूचनार्थ एवं इस अपेक्षा के साथ कि अग्रिम कार्यवाही करते हुए उक्त नोटिस को सम्बन्धित कार्मिक की व्यक्तिगत पत्रावली में संरक्षित कराना सुनिश्चित करें।
03. श्री अमित उपाध्याय (क० लि०) को इस आशय से कि सम्बन्धित पी०एच०सी० प्रभारी को नोटिस की एक प्रति आज ही तामील कराते हुए द्वितीय प्रति को सम्बन्धित के सतिथि हस्ताक्षर एवं स्वयं के अभिप्रामाणन के साथ कन्ट्रोल सेन्टर में प्रस्तुत करें।

 सहा० नोडल / डिप्टी कलेक्टर
आई०सी०सी०, वाराणसी।

इंटीग्रेटेड कोविड कमाण्ड एण्ड कन्ट्रोल सेन्टर वाराणसी।

पत्रांक: 01(10)कोविड19 / नोटिस / 2020

दिनांक : 09.8.2020

नोटिस

डॉ प्रीति यादव,
प्रभारी, पी0एच0सी0— चौकाघाट, वाराणसी।

आप अवगत हैं कि आपदा के रूप में घोषित कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत, जनपद स्तर पर इस महामारी के रोकथाम के प्रभावी एवं समयबद्ध प्रयास आवश्यक है। कृपया समय-समय पर उ0 प्र0 शासन स्तर से निर्गत विभिन्न शासनादेशों का सन्दर्भ ग्रहण करें।

आपके प्रभार के अन्तर्गत संचालित पी0एच0सी0 हेतु, अब तक चिह्नित कोविड-19 पॉजिटिव रोगियों की कुल संख्या और विवरण से आपको समय से अवगत कराया जा चुका है। आपके द्वारा दिनांक: 09.8.2020 के दैनिक कार्यों की समेकित सूचना को, डेली मास्टर रिपोर्ट प्रारूप (11 बिन्दुओं की) पर अंकित कर प्रेषित किया गया है। उक्त रिपोर्ट की समीक्षा करने पश्चात निम्न बिन्दुओं के सम्बंध में आपकी लापरवाही व शिथितता परिलक्षित हो रही है —

01. दैनिक रिपोर्ट के विभिन्न कालमों में अंकित सूचना, मनमाने ढंग से भरी गयी है अथवा अधूरी है।
02. कुल पॉजिटिव मरीज, मेडिकल आइसोलेशन, होम-आइसोलेशन एवं रिकवर्ड रोगियों के कालम में अंकित सूचनाएं परस्पर विरोधाभासी हैं।
03. R.R.T. द्वारा कोविड रोगियों की कुल संख्या के सापेक्ष किया गया भ्रमण व सत्यापन या तो अपूर्ण है अथवा भ्रामक है। 'नाट अलाउड' रोगियों व 'हाप्पिटलाइज्ड' मरीजों की संख्या में भिन्नता है, जिसका अर्थ यह है कि गम्भीर रोगी अथवा होम आइसोलेशन हेतु अपात्र रोगी आपकी लापरवाही से खतरनाक स्थिति में रह रहा है। आपका यह कृत्य मानव जीवन अथवा समाज के लोगों को खतरे में डालने जैसे आपराधिक कृत्य की श्रेणी में आता है।
04. औषधि वितरण:- लक्षित समूहों की कुल संख्या के सापेक्ष कम है अथवा भ्रामक है।
05. कान्टेक्ट ट्रैसिंग का कार्य:- बेहद शिथिल है। कुल पॉजिटिव केस के सापेक्ष, औसत कान्टेक्ट पर्सन की संख्या 15 के औसत से काफी कम है। समयबद्ध ढंग से और पर्याप्त मात्रा में कान्टेक्ट पर्सन को चिह्नित न करने की वजह से संक्रमित व्यक्तियों के द्वारा अनजाने में समाज में कोविड-संक्रमण की घटना बढ़ सकती है, जो आपकी शिथिल पर्यवेक्षणीय कार्यशैली की वजह से हो रहा है। इसे आपराधिक कृत्य की श्रेणी में माना जायेगा।
06. सैम्प्लिंग कार्य :-
 - कान्टेक्ट सैम्प्लिंग की संख्या कुल पाजिटीव मरीज व कुल कान्टेक्ट पर्सन के सापेक्ष कम है।
 - सर्विलांस सैम्प्ल- कम है।
 - कम्प्यूनिटी सैम्प्ल- कम है।
 - लक्ष्य के सापेक्ष RTPCR सैम्प्ल की संख्या- कम है।
 - लक्ष्य के सापेक्ष ANTIGEN सैम्प्ल की संख्या- कम है।
07. पोर्टल फीडिंग कार्य :-
 - A. पोर्टल फीडिंग कालम में अंकित सूचनाएं भ्रामक है। सैम्प्ल आई0डी0 व कन्साइंसेन्ट जनरेशन कार्य, लक्ष्य के सापेक्ष कम है।
 - B. रिजल्ट अपडेट के कालम में अंकित सूचनाएं अधूरी एवं भ्रामक है।
08. होम आइसोलेशन एप की संख्या होम आइसोलेशन में रह रहे रोगियों की संख्या के सापेक्ष कम है।
09. सर्विलांस कार्य, बेहद अपर्याप्त है। जबकि आपकी PHC क्षेत्र में कोविड संक्रमण की संख्या दिन-प्रतिदिन, काफी तेजी से बढ़ रही है। आपके द्वारा समय से सर्विलांस कार्य रणनीतिक ढंग से न कराये जाने एवं सर्विलांस में चिह्नित व्यक्तियों/रोगियों का स्वास्थ्य उपचार न कराने की वजह से, न सिर्फ कोविड संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं बल्कि दुःखद रूप से, को-मार्बिड व्यक्तियों के समक्ष जीवन-मरण का संकट उपस्थित हो रहा है। यह आपकी गम्भीर लापरवाही का दोषीकरण है।

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अधिसूचित सुसंगत प्रावधानों एवं अधिनियम के अन्तर्गत कोविड महामारी के दौरान शासकीय कर्मचारियों के लिए विभिन्न दायित्व निर्धारित किये गये हैं। जिनका उल्लंघन दण्डनीय एवं आपराधिक कृत्य घोषित किया गया है।

कृपया उपरोक्त अंकित अनियमितताओं के सम्बंध में स्वयं के हस्ताक्षरयुक्त अपना बिन्दुवार स्पष्टीकरण, आज ही लौटती डाक से प्रेपित करें अथवा स्वयं लेकर नियमित समीक्षा भीटिंग अवधि में अधोहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थित हों। नियत समय में स्पष्टीकरण प्राप्त न होने की दशा में यह माना जाएगा कि आपको उक्त नोटिस के सम्बंध में कुछ नहीं कहना है। तदनुसार इसी नोटिस को आरोप पत्र की मान्यता प्रदान करते हुये आपके विभागीय सक्षम प्राधिकारी के समक्ष, आपके विरुद्ध सुसंगत वैधानिक कार्यवाही किए जाने की आख्या प्रेषित कर दी जाएगी, जिसकी जिम्मेदारी आपकी स्वयं की होगी। कोविड-19 महामारी जैसे महत्वपूर्ण कार्य के दृष्टिगत आपका उक्त कृत्य, सुसंगत धाराओं में प्रधम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराये जाने के सम्बंध में विचारणीय हो सकता है।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

01. जिलाधिकारी महोदय वाराणसी।
02. मुख्य विकासाधिकारी वाराणसी को सूचनार्थ एवं इस अपेक्षा के साथ कि अग्रिम कार्यवाही करते हुए उक्त नोटिस को सम्बन्धित कार्मिक की व्यक्तिगत पत्रावली में संरक्षित कराना सुनिश्चित करें।
03. श्री अमित उपाध्याय (क0 लि0) को इस आशय से कि सम्बन्धित पी0एच0सी0 प्रभारी को नोटिस की एक प्रति आज ही तारीफ करते हुए द्वितीय प्रति को सम्बन्धित के सतिथि हस्ताक्षर एवं स्वयं के अभिप्रामाणन के साथ कन्ट्रोल सेन्टर में प्रस्तुत करें।

(विनिय सुमार सिंह)
सहा० नोडल/डिप्टी कलेक्टर
आई०सी०सी०सी०, वाराणसी।

सहा० नोडल/डिप्टी कलेक्टर
आई०सी०सी०सी०, वाराणसी।

इंटीग्रेटेड कोविड कमाण्ड एण्ड कन्ट्रोल सेन्टर वाराणसी।

पत्रांक: 01(11)कोविड19 / नोटिस / 2020

दिनांक : 09.8.2020

नोटिस

डा० मधु सिंह,
प्रभारी, पी०एच०सी०— दुर्गाकुण्ड, वाराणसी।


आप अवगत हैं कि आपदा के रूप में घोषित कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत, जनपद स्तर पर इस महामारी के रोकथाम के प्रभावी एवं समयबद्ध प्रयास आवश्यक है। कृपया समय-समय पर उ० प्र० शासन स्तर से निर्गत विभिन्न शासनादेशों का सन्दर्भ ग्रहण करें।

आपके प्रभार के अन्तर्गत संचालित पी०एच०सी० हेतु, अब तक चिह्नित कोविड-19 पॉजिटिव रोगियों की कुल संख्या और विवरण से आपको समय से अवगत कराया जा चुका है। आपके द्वारा दिनांक: 09.8.2020 के दैनिक कार्यों की समेकित सूचना को, डेली मास्टर रिपोर्ट प्रारूप (11 बिन्दुओं की) पर अंकित कर प्रेषित किया गया है। उक्त रिपोर्ट की समीक्षा करने पश्चात निम्न बिन्दुओं के सम्बंध में आपकी लापरवाही व शिथिलता परिलक्षित हो रही है —

01. दैनिक रिपोर्ट के विभिन्न कालमों में अंकित सूचना, मनमाने ढंग से भरी गयी है अथवा अधूरी है।
02. कुल पॉजिटिव मरीज, मेडिकल आइसोलेशन, होम-आइसोलेशन एवं रिकवर्ड रोगियों के कालम में अंकित सूचनाएं परस्पर विरोधाभासी हैं।
03. R.R.T. द्वारा कोविड रोगियों की कुल संख्या के सापेक्ष किया गया भ्रमण व सत्यापन या तो अपूर्ण है अथवा भ्रामक है। 'नाट अलाउड' रोगियों व 'हास्पिटलाइज्ड' मरीजों की संख्या में भिन्नता है, जिसका अर्थ यह है कि गम्भीर रोगी अथवा होम आइसोलेशन हेतु अपात्र रोगी आपकी लापरवाही से खतरनाक स्थिति में रह रहा है। आपका यह कृत्य मानव जीवन अथवा समाज के लोगों को खतरे में डालने जैसे आपराधिक कृत्य की श्रेणी में आता है।
04. औषधि वितरणः— लक्षित समूहों की कुल संख्या के सापेक्ष कम है अथवा भ्रामक है।
05. कान्टेक्ट ट्रेसिंग का कार्यः— बेहद शिथिल है। कुल पॉजिटिव केस के सापेक्ष, औसत कान्टेक्ट पर्सन की संख्या 15 के औसत से काफी कम है। समयबद्ध ढंग से और पर्याप्त मात्रा में कान्टेक्ट पर्सन को चिह्नित न करने की वजह से संक्रमित व्यक्तियों के द्वारा अनजाने में समाज में कोविड-संक्रमण की घटना बढ़ सकती है, जो आपकी शिथिल पर्यवेक्षणीय कार्यशैली की वजह से हो रहा है। इसे आपराधिक कृत्य की श्रेणी में माना जायेगा।
06. सैम्प्लिंग कार्य :-
 - कान्टेक्ट सैम्प्लिंग की संख्या कुल पाजिटीव मरीज व कुल कान्टेक्ट पर्सन्स के सापेक्ष कम है।
 - सर्विलांस सैम्प्ल— कम है।
 - कम्यूनिटी सैम्प्ल— कम है।
 - लक्ष्य के सापेक्ष RTPCR सैम्प्ल की संख्या— कम है।
 - लक्ष्य के सापेक्ष ANTIGEN सैम्प्ल की संख्या— कम है।
07. पोर्टल फीडिंग कार्य :-
 - A. पोर्टल फीडिंग कालम में अंकित सूचनाएं भ्रामक है। सैम्प्ल आई०डी० व कन्साइमेन्ट जनरेशन कार्य, लक्ष्य के सापेक्ष कम है।
 - B. रिजल्ट अपडेट के कालम में अंकित सूचनाएं अधूरी एवं भ्रामक है।
08. होम आइसोलेशन एप की संख्या होम आइसोलेशन में रह रहे रोगियों की संख्या के सापेक्ष कम है।
09. सर्विलांस कार्य, बेहद अपर्याप्त है। जबकि आपकी PHC क्षेत्र में कोविड संक्रमण की संख्या दिन-प्रतिदिन, काफी तेजी से बढ़ रही है। आपके द्वारा समय से सर्विलांस कार्य रणनीतिक ढंग से न कराये जाने एवं सर्विलांस में चिह्नित व्यक्तियों/रोगियों का स्वारथ्य उपचार न कराने की वजह से, न सिर्फ कोविड संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं बल्कि दुःखद रूप से, को-मार्भिड व्यक्तियों के समक्ष जीवन-मरण का संकट उपस्थित हो रहा है। यह आपकी गम्भीर लापरवाही का द्योतक है।

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अधिसूचित सुसंगत प्रावधानों एवं अधिनियम के अन्तर्गत कोविड महामारी के दौरान शासकीय कर्मचारियों के लिए विभिन्न दायित्व निर्धारित किये गये हैं। जिनका उल्लंघन दण्डनीय एवं आपराधिक कृत्य घोषित किया गया है।

कृपया उपरोक्त अंकित अनियमिताओं के सम्बंध में स्वयं के हस्ताक्षरयुक्त अपना बिन्दुवार स्पष्टीकरण, आज ही लौटती डाक से प्रेषित करें अथवा स्वयं लेकर नियमित समीक्षा मीटिंग अवधि में अधोहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थित हों। नियत समय में स्पष्टीकरण प्राप्त न होने की दशा में यह माना जाएगा कि आपको उक्त नोटिस के सम्बंध में कुछ नहीं कहना है। तदनुसार इसी नोटिस को आरोप पत्र की मान्यता प्रदान करते हुये आपके विभागीय सक्षम प्राधिकारी के समक्ष, आपके विरुद्ध सुसंगत वैधानिक कार्यवाही किए जाने की आव्याप्ति प्रेषित कर दी जाएगी, जिसकी जिम्मेदारी आपकी स्वयं की होगी। कोविड-19 महामारी जैसे महत्वपूर्ण कार्य के दृष्टिगत आपका उक्त कृत्य, सुसंगत धाराओं में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराये जाने के सम्बंध में विचारणीय हो सकता है।



(विनय कुमार सिंह)

सहा० नोडल / डिटी कलेक्टर
आई०डी०सी०सी०, वाराणसी।

प्रतिलिपि— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

01. जिलाधिकारी महोदय वाराणसी।
02. मुख्य चिकित्साधिकारी वाराणसी को सूचनार्थ एवं इस अपेक्षा के साथ कि अग्रिम कार्यवाही करते हुए उक्त नोटिस को सम्बन्धित कार्मिक की व्यक्तिगत पत्रावली में संरक्षित कराना सुनिश्चित करें।
03. श्री अमित उपाध्याय (क० लि) को इस आशय से कि सम्बन्धित पी०एच०सी० प्रभारी को नोटिस की एक प्रति आज ही तामील करते हुए द्वितीय प्रति को सम्बन्धित के सतिथि हस्ताक्षर एवं स्वयं के अभिप्रामाणन के साथ कन्ट्रोल सेन्टर में प्रस्तुत करें।



सहा० नोडल / डिटी कलेक्टर
आई०डी०सी०सी०, वाराणसी।

इंटीग्रेटेड कोविड कमाण्ड एण्ड कन्ट्रोल सेन्टर वाराणसी।

पत्रांक: 01(12)कोविड19/नोटिस/2020

दिनांक: 09.8.2020

नोटिस

डा० आर०के० सिंह,
प्रभारी, पी०एच०सी०— हरहुआ, वाराणसी।

आप अवगत हैं कि आपदा के रूप में घोषित कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत, जनपद स्तर पर इस महामारी के रोकथाम के प्रभावी एवं समयबद्ध प्रयास आवश्यक है। कृपया समय-समय पर उ० प्र० शासन स्तर से निर्गत विभिन्न शासनादेशों का सन्दर्भ ग्रहण करें।

आपके प्रभार के अन्तर्गत संचालित पी०एच०सी० हेतु, अब तक चिह्नित कोविड-19 पॉजिटिव रोगियों की कुल संख्या और विवरण से आपको समय से अवगत कराया जा चुका है। आपके द्वारा दिनांक: 09.8.2020 के दैनिक कार्यों की समेकित सूचना को, डेली मास्टर रिपोर्ट प्रारूप (11 बिन्दुओं की) पर अंकित कर प्रेषित किया गया है। उक्त रिपोर्ट की समीक्षा करने पश्चात निम्न बिन्दुओं के सम्बंध में आपकी लापरवाही व शिथिलता परिलक्षित हो रही है –

01. दैनिक रिपोर्ट के विभिन्न कालमों में अंकित सूचना, मनमाने ढंग से भरी गयी है अथवा अधूरी है।
02. कुल पॉजिटिव मरीज, मेडिकल आइसोलेशन, होम-आइसोलेशन एवं रिकवर्ड रोगियों के कालम में अंकित सूचनाएं परस्पर विरोधाभासी हैं।
03. R.R.T. द्वारा कोविड रोगियों की कुल संख्या के सापेक्ष किया गया भ्रमण व सत्यापन या तो अपूर्ण है अथवा भ्रामक है। 'नाट अलाउड' रोगियों व 'हास्पिटलाइज्ड' मरीजों की संख्या में भिन्नता है, जिसका अर्थ यह है कि गम्भीर रोगी अथवा होम आइसोलेशन हेतु अपात्र रोगी आपकी लापरवाही से खतरनाक स्थिति में रह रहा है। आपका यह कृत्य मानव जीवन अथवा समाज के लोगों का खतरे में डालने जैसे आपराधिक कृत्य की श्रेणी में आता है।
04. औषधि वितरणः— लक्षित समूहों की कुल संख्या के सापेक्ष कम है अथवा भ्रामक है।
05. कान्टेक्ट ट्रेसिंग का कार्यः— बेहद शिथिल है। कुल पॉजिटिव केस के सापेक्ष, औसत कान्टेक्ट पर्सन की संख्या 15 के औसत से काफी कम है। समयबद्ध ढंग से और पर्याप्त मात्रा में कान्टेक्ट पर्सन को चिह्नित न करने की वजह से संक्रमित व्यक्तियों के द्वारा अनजाने में समाज में कोविड-संक्रमण की घटना बढ़ सकती है, जो आपकी शिथिल पर्यवेक्षणीय कार्यशैली की वजह से हो रहा है। इसे आपराधिक कृत्य की श्रेणी में माना जायेगा।
06. सैम्प्लिंग कार्य :—
 - कान्टेक्ट सैम्प्लिंग की संख्या कुल पाजिटीव मरीज व कुल कान्टेक्ट पर्सन्स के सापेक्ष कम है।
 - सर्विलांस सैम्प्ल— कम है।
 - कम्प्यूनिटी सैम्प्ल— कम है।
 - लक्ष्य के सापेक्ष RTPCR सैम्प्ल की संख्या— कम है।
 - लक्ष्य के सापेक्ष ANTIGEN सैम्प्ल की संख्या— कम है।

07. पोर्टल फीडिंग कार्य :—

- A. पोर्टल फीडिंग कालम में अंकित सूचनाएं भ्रामक है। सैम्प्ल आई०डी० व कन्साइमेन्ट जनरेशन कार्य, लक्ष्य के सापेक्ष कम है।
- B. रिजल्ट अपडेट के कालम में अंकित सूचनाएं अधूरी एवं भ्रामक है।
08. होम आइसोलेशन एप की संख्या होम आइसोलेशन में रह रहे रोगियों की संख्या के सापेक्ष कम है।
09. सर्विलांस कार्य, बेहद अपर्याप्त है। जबकि आपकी PHC क्षेत्र में कोविड संक्रमण की संख्या दिन-प्रतिदिन, काफी तेजी से बढ़ रही है। आपके द्वारा समय से सर्विलांस कार्य रणनीतिक ढंग से न कराये जाने एवं सर्विलांस में चिह्नित व्यक्तियों/रोगियों का स्वास्थ्य उपचार न कराने की वजह से, न सिर्फ कोविड संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं बल्कि दुःखद रूप से, को-मार्बिड व्यक्तियों के समक्ष जीवन-मरण का संकट उपस्थित हो रहा है। यह आपकी गम्भीर लापरवाही का द्योतक है।

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अधिसूचित सुसंगत प्रावधानों एवं अधिनियम के अन्तर्गत कोविड महामारी के दौरान शासकीय कर्मचारियों के लिए विभिन्न दायित्व निर्धारित किये गये हैं। जिनका उल्लंघन दण्डनीय एवं आपराधिक कृत्य घोषित किया गया है।

कृपया उपरोक्त अंकित अनियमितताओं के सम्बंध में स्वयं के हस्ताक्षरयुक्त अपना बिन्दुवार स्पष्टीकरण, आज ही लौटती डाक से प्रेषित करें अथवा स्वयं लेकर नियमित समीक्षा मीटिंग अवधि में अधोहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थित हों। नियत समय में स्पष्टीकरण प्राप्त न होने की दशा में यह माना जाएगा कि आपको उक्त नोटिस के सम्बंध में कुछ नहीं कहना है। तदनुसार इसी नोटिस को आरोप पत्र की मान्यता प्रदान करते हुये आपके विभागीय सक्षम प्राधिकारी के समक्ष, आपके विरुद्ध सुसंगत वैधानिक कार्यवाही किए जाने की आव्या प्रेषित कर दी जाएगी, जिसकी जिम्मेदारी आपकी स्वयं की होगी। कोविड-19 महामारी जैसे महत्वपूर्ण कार्य के दृष्टिगत आपका उक्त कृत्य, सुसंगत धाराओं में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराये जाने के सम्बंध में विचारणीय हो सकता है।

प्रतिलिपि— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

01. जिलाधिकारी महोदय वाराणसी।
02. मुख्य विकासाधिकारी वाराणसी को सूचनार्थ एवं इस अपेक्षा के साथ कि अग्रिम कार्यवाही करते हुए उक्त नोटिस को सम्बन्धित कार्मिक की व्यक्तिगत पत्रावली में संरक्षित कराना सुनिश्चित करें।
03. श्री अमित उपाध्याय (क० लि०) को इस आशय से कि सम्बन्धित पी०एच०सी० प्रभारी को नोटिस की एक प्रति आज ही तारीफ करते हुए द्वितीय प्रति को सम्बन्धित के सतीथि हस्ताक्षर एवं स्वयं के अभिप्रामाणन के साथ कन्ट्रोल सेन्टर में प्रस्तुत करें।

१ सहा० नॉडल/डिप्टी कलेक्टर
आई०सी०सी०सी० वाराणसी।

(विनय कुमार सिंह)
सहा० नॉडल/डिप्टी कलेक्टर
आई०सी०सी०सी० वाराणसी।

इंटीग्रेटेड कोविड कमाण्ड एण्ड कन्ट्रोल सेन्टर वाराणसी।

पत्रांक: 01(13)कोविड19 / नोटिस / 2020

दिनांक : 09.8.2020

नोटिस

डा० उमेश सिन्हा,
प्रभारी, पी०एच०सी० – जैतपुरा, वाराणसी।

आप अवगत हैं कि आपदा के रूप में घोषित कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत, जनपद स्तर पर इस महामारी के रोकथाम के प्रभावी एवं समयबद्ध प्रयास आवश्यक है। कृपया समय-समय पर उ० प्र० शासन स्तर से निर्गत विभिन्न शासनादेशों का सन्दर्भ ग्रहण करें।

आपके प्रभार के अन्तर्गत संचालित पी०एच०सी० हेतु, अब तक चिन्हित कोविड-19 पॉजिटिव रोगियों की कुल संख्या और विवरण से आपको समय से अवगत कराया जा चुका है। आपके द्वारा दिनांक: 09.8.2020 के दैनिक कार्यों की समेकित सूचना को, डेली मास्टर रिपोर्ट प्रारूप (11 बिन्दुओं की) पर अंकित कर प्रेषित किया गया है। उक्त रिपोर्ट की समीक्षा करने पश्चात निम्न बिन्दुओं के सम्बंध में आपकी लापरवाही व शिथिलता परिलक्षित हो रही है –

01. दैनिक रिपोर्ट के विभिन्न कालमों में अंकित सूचना, मनमाने ढंग से भरी गयी है अथवा अधूरी है।
 02. कुल पॉजिटिव मरीज, मेडिकल आइसोलेशन, होम-आइसोलेशन एवं रिकवर्ड रोगियों के कालम में अंकित सूचनाएं परस्पर विरोधाभासी हैं।
 03. R.R.T. द्वारा कोविड रोगियों की कुल संख्या के सापेक्ष किया गया भ्रमण व सत्यापन या तो अपूर्ण है अथवा भ्रामक है। 'नाट अलाउड' रोगियों व 'हास्पिटलाइज्ड' मरीजों की संख्या में भिन्नता है, जिसका अर्थ यह है कि गम्भीर रोगी अथवा होम आइसोलेशन हेतु अपात्र रोगी आपकी लापरवाही से खतरनाक स्थिति में रह रहा है। आपका यह कृत्य मानव जीवन अथवा समाज के लोगों को खतरे में डालने जैसे आपराधिक कृत्य की श्रेणी में आता है।
 04. औषधि वितरणः— लक्षित समूहों की कुल संख्या के सापेक्ष कम है अथवा भ्रामक है।
 05. कान्ट्रेक्ट ट्रेसिंग का कार्यः— बेहद शिथिल है। कुल पॉजिटिव केस के सापेक्ष, औसत कान्ट्रेक्ट पर्सन की संख्या 15 के औसत से काफी कम है। समयबद्ध ढंग से और पर्याप्त मात्रा में कान्ट्रेक्ट पर्सन को चिन्हित न करने की वजह से संक्रमित व्यक्तियों के द्वारा अनजाने में समाज में कोविड-संक्रमण की घटना बढ़ सकती है, जो आपकी शिथिल पर्यवेक्षणीय कार्यशैली की वजह से हो रहा है। इसे आपराधिक कृत्य की श्रेणी में माना जायेगा।
 06. सैम्प्लिंग कार्य :-
 - कान्ट्रेक्ट सैम्प्लिंग की संख्या कुल पाजिटीव मरीज व कुल कान्ट्रेक्ट पर्सन के सापेक्ष कम है।
 - सर्विलांस सैम्प्ल— कम है।
 - कम्प्यूनिटी सैम्प्ल— कम है।
 - लक्ष्य के सापेक्ष RTPCR सैम्प्ल की संख्या— कम है।
 - लक्ष्य के सापेक्ष ANTIGEN सैम्प्ल की संख्या— कम है।
 07. पोर्टल फीडिंग कार्य :-
 - A. पोर्टल फीडिंग कालम में अंकित सूचनाएं भ्रामक है। सैम्प्ल आई०डी० व कन्साइंमेन्ट जनरेशन कार्य, लक्ष्य के सापेक्ष कम है।
 - B. रिजल्ट अपडेट के कालम में अंकित सूचनाएं अधूरी एवं भ्रामक है।
 08. होम आइसोलेशन एप की संख्या होम आइसोलेशन में रह रहे रोगियों की संख्या के सापेक्ष कम है।
 09. सर्विलांस कार्य, बेहद अपर्याप्त है। जबकि आपकी PHC क्षेत्र में कोविड संक्रमण की संख्या दिन-प्रतिदिन, काफी तेजी से बढ़ रही है। आपके द्वारा समय से सर्विलांस कार्य रणनीतिक ढंग से न कराये जाने एवं सर्विलांस में चिन्हित व्यक्तियों/रोगियों का रही है। उपचार न कराने की वजह से, न सिर्फ कोविड संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं बल्कि दुःखद रूप से, को-मार्बिड स्वास्थ्य उपचार न कराने का संकट उपस्थित हो रहा है। यह आपकी गम्भीर लापरवाही का द्योतक है।
- व्यक्तियों के समक्ष जीवन-मरण का संकट उपस्थित हो रहा है। यह आपकी गम्भीर लापरवाही का द्योतक है।
- उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अधिसूचित सुसंगत प्रावधानों एवं अधिनियम के अन्तर्गत कोविड महामारी के दौरान शासकीय कर्मचारियों के लिए विभिन्न दायित्व निर्धारित किये गये हैं। जिनका उल्लंघन दण्डनीय एवं आपराधिक कृत्य घोषित किया गया है।
- कृपया उपरोक्त अंकित अनियमितताओं के सम्बंध में स्वयं के हस्ताक्षरयुक्त अपना बिन्दुवार स्पष्टीकरण, आज ही लौटी डाक से प्रेषित करें अथवा स्वयं लेकर नियमित समीक्षा मीटिंग अवधि में अधोहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थित हों। नियत समय में स्पष्टीकरण प्राप्त न होने प्रदान करते हुये आपके विभागीय सक्षम प्राधिकारी के समक्ष, आपके विरुद्ध सुसंगत वैधानिक कार्यवाही किए जाने की आवश्या प्रेषित कर दी जाएगी, जिसकी जिम्मेदारी आपकी स्वयं की होगी। कोविड-19 महामारी जैसे महत्वपूर्ण कार्य के दृष्टिगत आपका उक्त कृत्य, सुसंगत धाराओं में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराये जाने के सम्बंध में विचारणीय हो सकता है।

(विनय कुमार सिंह)
सहा० नोडल/डिप्टी कलेक्टर
आई०डी०सी०सी०, वाराणसी।

प्रतिलिपि— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

01. जिलाधिकारी महोदय वाराणसी।
02. मुख्य चिकित्साधिकारी वाराणसी को सूचनार्थ एवं इस अपेक्षा के साथ कि अग्रिम कार्यवाही करते हुए उक्त नोटिस को सम्बन्धित कार्मिक की व्यक्तिगत पत्रावली में संरक्षित कराना सुनिश्चित करें।
03. श्री अमित उपाध्याय (क० लि०) को इस आशय से कि सम्बन्धित पी०एच०सी० प्रभारी को नोटिस की एक प्रति आज ही तारीफ कराते हुए द्वितीय प्रति को सम्बन्धित के सतिथि हस्ताक्षर एवं स्वयं के अभिप्रामाणन के साथ कन्ट्रोल सेन्टर में प्रस्तुत करें।

(विनय कुमार सिंह)
सहा० नोडल/डिप्टी कलेक्टर
आई०डी०सी०सी०, वाराणसी।

इंटीग्रेटेड कोविड कमाण्ड एण्ड कन्ट्रोल सेन्टर वाराणसी।

पत्रांक: 01(14)कोविड19 / नोटिस / 2020

दिनांक : 09.8.2020

नोटिस

डा० नवीन सिंह,

प्रभारी, पी०एच०सी०- काशी विद्यापीठ, वाराणसी।

आप अवगत हैं कि आपदा के रूप में घोषित कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत, जनपद स्तर पर इस महामारी के रोकथाम के प्रभावी एवं समयबद्ध प्रयास आवश्यक है। कृपया समय-समय पर उ० प्र० शासन स्तर से निर्गत विभिन्न शासनादेशों का सन्दर्भ ग्रहण करें।

आपके प्रभार के अन्तर्गत संचालित पी०एच०सी० हेतु, अब तक चिह्नित कोविड-19 पॉजिटिव रोगियों की कुल संख्या और विवरण से आपको समय से अवगत कराया जा चुका है। आपके द्वारा दिनांक: 09.8.2020 के दैनिक कार्यों की समेकित सूचना को, डेली मास्टर रिपोर्ट प्रारूप (11 बिन्दुओं की) पर अंकित कर प्रेषित किया गया है। उक्त रिपोर्ट की समीक्षा करने पश्चात निम्न बिन्दुओं के सम्बंध में आपकी लापरवाही व शिथिलता परिलक्षित हो रही है –

01. दैनिक रिपोर्ट के विभिन्न कालमों में अंकित सूचना, मनमाने ढंग से भरी गयी है अथवा अधूरी है।
02. कुल पॉजिटिव मरीज, मेडिकल आइसोलेशन, होम-आइसोलेशन एवं रिकवर्ड रोगियों के कालम में अंकित सूचनाएं परस्पर विरोधाभासी हैं।
03. R.R.T. द्वारा कोविड रोगियों की कुल संख्या के सापेक्ष किया गया भ्रमण व सत्यापन या तो अपूर्ण है अथवा भ्रामक है। 'नाट अलाउड' रोगियों व 'हास्पिटलाइज्ड' मरीजों की संख्या में भिन्नता है, जिसका अर्थ यह है कि गम्भीर रोगी अथवा होम आइसोलेशन हेतु अपात्र रोगी आपकी लापरवाही से खतरनाक स्थिति में रह रहा है। आपका यह कृत्य मानव जीवन अथवा समाज के लोगों को खतरे में डालने जैसे आपराधिक कृत्य की श्रेणी में आता है।
04. **औषधि वितरणः**— लक्षित समूहों की कुल संख्या के सापेक्ष कम है अथवा भ्रामक है।
05. **कान्टेक्ट ट्रेसिंग का कार्यः**— बेहद शिथिल है। कुल पॉजिटिव केस के सापेक्ष, औसत कान्टेक्ट पर्सन की संख्या 15 के औसत से काफी कम है। समयबद्ध ढंग से और पर्याप्त मात्रा में कान्टेक्ट पर्सन को चिह्नित न करने की वजह से संक्रमित व्यक्तियों के द्वारा अनजाने में समाज में कोविड-संक्रमण की घटना बढ़ सकती है, जो आपकी शिथिल पर्यवेक्षणीय कार्यशैली की वजह से हो रहा है। इसे आपराधिक कृत्य की श्रेणी में माना जायेगा।
06. **सैम्प्लिंग कार्यः**—
 - कान्टेक्ट सैम्प्लिंग की संख्या कुल पॉजिटिव मरीज व कुल कान्टेक्ट पर्सन्स के सापेक्ष कम है।
 - सर्विलांस सैम्प्ल— कम है।
 - कम्प्यूनिटी सैम्प्ल— कम है।
 - लक्ष्य के सापेक्ष RTPCR सैम्प्ल की संख्या— कम है।
 - लक्ष्य के सापेक्ष ANTIGEN सैम्प्ल की संख्या— कम है।

07. **पोर्टल फीडिंग कार्यः**—
 - A. पोर्टल फीडिंग कालम में अंकित सूचनाएं भ्रामक है। सैम्प्ल आई०डी० व कन्साइंमेन्ट जनरेशन कार्य, लक्ष्य के सापेक्ष कम है।
 - B. रिजल्ट अपडेट के कालम में अंकित सूचनाएं अधूरी एवं भ्रामक है।
08. होम आइसोलेशन एप की संख्या होम आइसोलेशन में रह रहे रोगियों की संख्या के सापेक्ष कम है।
09. सर्विलांस कार्य, बेहद अपर्याप्त है। जबकि आपकी PHC क्षेत्र में कोविड संक्रमण की संख्या दिन-प्रतिदिन, काफी तेजी से बढ़ रही है। आपके द्वारा समय से सर्विलांस कार्य रणनीतिक ढंग से न कराये जाने एवं सर्विलांस में चिह्नित व्यक्तियों/रोगियों का स्वास्थ्य उपचार न कराने की वजह से, न सिर्फ कोविड संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं बल्कि दुःखद रूप से, को-मार्बिड व्यक्तियों के समक्ष जीवन-मरण का संकट उपस्थित हो रहा है। यह आपकी गम्भीर लापरवाही का द्योतक है।

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अधिसूचित सुसंगत प्रावधानों एवं अधिनियम के अन्तर्गत कोविड महामारी के दौरान शासकीय कर्मचारियों के लिए विभिन्न दायित्व निर्धारित किये गये हैं। जिनका उल्लंघन दण्डनीय एवं आपराधिक कृत्य घोषित किया गया है।

कृपया उपरोक्त अंकित अनियमितताओं के सम्बंध में स्वयं के हस्ताक्षरयुक्त अपना बिन्दुवार स्पष्टीकरण, आज ही लौटती डाक से प्रेषित करें अथवा स्वयं लेकर नियमित समीक्षा मीटिंग अवधि में अधोहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थित हों। नियत समय में स्पष्टीकरण प्राप्त न होने की दशा में यह माना जाएगा कि आपको उक्त नोटिस के सम्बंध में कुछ नहीं कहना है। तदनुसार इसी नोटिस को आरोप पत्र की मान्यता प्रदान करते हुये आपके विभागीय सक्षम प्राधिकारी के समक्ष, आपके विरुद्ध सुसंगत वैधानिक कार्यवाही किए जाने की आख्या प्रेषित कर दी जाएगी, जिसकी जिम्मेदारी आपकी स्वयं की होगी। कोविड-19 महामारी जैसे महत्वपूर्ण कार्य के दृष्टिगत आपका उक्त कृत्य, सुसंगत धाराओं में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराये जाने के सम्बंध में विचारणीय हो सकता है।

प्रतिलिपि— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

01. जिलाधिकारी महोदय वाराणसी।
02. मुख्य विकासाधिकारी वाराणसी को सूचनार्थ एवं इस अपेक्षा के साथ कि अग्रिम कार्यवाही करते हुए उक्त नोटिस को सम्बन्धित कार्मिकी की व्यक्तिगत पत्रावली में संरक्षित कराना सुनिश्चित करें।
03. श्री अमित उपाध्याय (क० लि०) को इस आशय से कि सम्बन्धित पी०एच०सी० प्रभारी को नोटिस की एक प्रति आज ही तारीख कराते हुए द्वितीय प्रति को सम्बन्धित के सतिथि हस्ताक्षर एवं स्वयं के अभिप्रामाणन के साथ कन्ट्रोल सेन्टर में प्रस्तुत करें।

(विनायक सुमार सिंह)
सहा० नोडल / डिप्टी कलेक्टर
आई०डी०सी०सी०, वाराणसी।

9 सहा० नोडल / डिप्टी कलेक्टर
आर्द्धसी०सी०सी० वाराणसी।

इंटीग्रेटेड कोविड कमाण्ड एण्ड कन्ट्रोल सेन्टर वाराणसी।

पत्रांक: 01(15)कोविड19 / नोटिस / 2020

दिनांक : 09.8.2020

नोटिस

डा० फालगुनी गुप्ता,
प्रभारी, पी०एच०सी०- लल्लापुरा, वाराणसी।

आप अवगत हैं कि आपदा के रूप में घोषित कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत, जनपद स्तर पर इस महामारी के रोकथाम के प्रभावी एवं समयबद्ध प्रयास आवश्यक है। कृपया समय-समय पर उ० प्र० शासन स्तर से निर्गत विभिन्न शासनादेशों का सन्दर्भ ग्रहण करें।

आपके प्रभार के अन्तर्गत संचालित पी०एच०सी० हेतु, अब तक चिह्नित कोविड-19 पॉजिटिव रोगियों की कुल संख्या और विवरण से आपको समय से अवगत कराया जा चुका है। आपके द्वारा दिनांक: 09.8.2020 के दैनिक कार्यों की समेकित सूचना को, डेली मास्टर रिपोर्ट प्रारूप (11 बिन्दुओं की) पर अंकित कर प्रेषित किया गया है। उक्त रिपोर्ट की समीक्षा करने पश्चात निम्न बिन्दुओं के सम्बंध में आपकी लापरवाही व शिथिलता परिलक्षित हो रही है –

01. दैनिक रिपोर्ट के विभिन्न कालमों में अंकित सूचना, मनमाने ढंग से भरी गयी है अथवा अधूरी है।
02. कुल पॉजिटिव मरीज, मेडिकल आइसोलेशन, होम-आइसोलेशन एवं रिकवर्ड रोगियों के कालम में अंकित सूचनाएं परस्पर विरोधाभासी हैं।
03. R.R.T. द्वारा कोविड रोगियों की कुल संख्या के सापेक्ष किया गया भ्रमण व सत्यापन या तो अपूर्ण है अथवा भ्रामक है। 'नाट अलाउड' रोगियों व 'हास्पिटलाइज्ड' मरीजों की संख्या में भिन्नता है, जिसका अर्थ यह है कि गम्भीर रोगी अथवा होम आइसोलेशन हेतु अपात्र रोगी आपकी लापरवाही से खतरनाक स्थिति में रह रहा है। आपका यह कृत्य मानव जीवन अथवा समाज के लोगों को खतरे में डालने जैसे आपराधिक कृत्य की श्रेणी में आता है।
04. औषधि वितरणः— लक्षित समूहों की कुल संख्या के सापेक्ष कम है अथवा भ्रामक है।
05. कान्टेक्ट ट्रैसिंग का कार्यः— बेहद शिथिल है। कुल पॉजिटिव केस के सापेक्ष, औसत कान्टेक्ट पर्सन की संख्या 15 के औसत से काफी कम है। समयबद्ध ढंग से और पर्याप्त मात्रा में कान्टेक्ट पर्सन को चिह्नित न करने की वजह से संक्रमित व्यक्तियों के द्वारा अनजाने में समाज में कोविड-संक्रमण की घटना बढ़ सकती है, जो आपकी शिथिल पर्यवेक्षणीय कार्यशैली की वजह से हो रहा है। इसे आपराधिक कृत्य की श्रेणी में माना जायेगा।
06. सैम्पलिंग कार्यः—
 - कान्टेक्ट सैम्पलिंग की संख्या कुल पाजिटीव मरीज व कुल कान्टेक्ट पर्सन्स के सापेक्ष कम है।
 - सर्विलांस सैम्पल— कम है।
 - कम्यूनिटी सैम्पल— कम है।
 - लक्ष्य के सापेक्ष RTPCR सैम्पल की संख्या— कम है।
 - लक्ष्य के सापेक्ष ANTIGEN सैम्पल की संख्या— कम है।
07. पोर्टल फीडिंग कार्यः—
 - A. पोर्टल फीडिंग कालम में अंकित सूचनाएं भ्रामक है। सैम्पल आई०डी० व कन्साइंसेन्ट जनरेशन कार्य, लक्ष्य के सापेक्ष कम है।
 - B. रिजल्ट अपडेट के कालम में अंकित सूचनाएं अधूरी एवं भ्रामक है।
08. होम आइसोलेशन एप की संख्या होम आइसोलेशन में रह रहे रोगियों की संख्या के सापेक्ष कम है।
09. सर्विलांस कार्य, बेहद अपर्याप्त है। जबकि आपकी PHC क्षेत्र में कोविड संक्रमण की संख्या दिन-प्रतिदिन, काफी तेजी से बढ़ रही है। आपके द्वारा समय से सर्विलांस कार्य रणनीतिक ढंग से न कराये जाने एवं सर्विलांस में चिह्नित व्यक्तियों/रोगियों का स्वास्थ्य उपचार न कराने की वजह से, न सिर्फ कोविड संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं बल्कि दुःखद रूप से, को-मार्बिड व्यक्तियों के समक्ष जीवन-मरण का संकट उपस्थित हो रहा है। यह आपकी गम्भीर लापरवाही का द्योतक है।

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अधिसूचित सुसंगत प्रावधानों एवं अधिनियम के अन्तर्गत कोविड महामारी के दौरान शासकीय कर्मचारियों के लिए विभिन्न दायित्व निर्धारित किये गये हैं। जिनका उल्लंघन दण्डनीय एवं आपराधिक कृत्य घोषित किया गया है।

कृपया उपरोक्त अंकित अनियमितताओं के सम्बंध में स्वयं के हस्ताक्षरयुक्त अपना बिन्दुवार स्पष्टीकरण, आज ही लौटती डाक से प्रेषित करें अथवा स्वयं लेकर नियमित समीक्षा मीटिंग अवधि में अधोहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थित हों। नियत समय में स्पष्टीकरण प्राप्त न होने की दशा में यह माना जाएगा कि आपको उक्त नोटिस के सम्बंध में कुछ नहीं कहना है। तदनुसार इसी नोटिस को आरोप पत्र की मान्यता प्रदान करते हुये आपके विभागीय सक्षम प्राधिकारी के समक्ष, आपके विरुद्ध सुसंगत वैधानिक कार्यवाही किए जाने की आव्याप्ति प्रेषित कर दी जाएगी, जिसकी जिम्मेदारी आपकी स्वयं की होगी। कोविड-19 महामारी जैसे महत्वपूर्ण कार्य के दृष्टिगत आपका उक्त कृत्य, सुसंगत धाराओं में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराये जाने के सम्बंध में विचारणीय हो सकता है।

प्रतिलिपि— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

01. जिलाधिकारी महोदय वाराणसी।
02. मुख्य चिकित्साधिकारी वाराणसी को सूचनार्थ एवं इस अपेक्षा के साथ कि अग्रिम कार्यवाही करते हुए उक्त नोटिस को सम्बन्धित कार्मिक की व्यक्तिगत पत्रावली में संरक्षित कराना सुनिश्चित करें।
03. श्री अमित उपाध्याय (क० लि०) को इस आशय से कि सम्बन्धित पी०एच०सी० प्रभारी को नोटिस की एक प्रति आज ही तामील कराते हुए द्वितीय प्रति को सम्बन्धित के सतिथि हस्ताक्षर एवं स्वयं के अभिप्राणन के साथ कन्ट्रोल सेन्टर में प्रस्तुत करें।

(विनय कुमार सिंह)
सहा० नोडल / डिप्टी कलेक्टर

आई०डी०सी०सी०, वाराणसी।

सहा० नोडल / डिप्टी कलेक्टर
आई०डी०सी०सी०, वाराणसी।

इंटीग्रेटेड कोविड कमाण्ड एण्ड कन्ट्रोल सेन्टर वाराणसी।

पत्रांक: 01(16)कोविड19 / नोटिस / 2020

दिनांक : 09.8.2020

नोटिस

डा० सौम्या नवल

प्रभारी, पी०एच०सी०— माधोपुर, वाराणसी।

आप अवगत हैं कि आपदा के रूप में घोषित कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत, जनपद स्तर पर इस महामारी के रोकथाम के प्रभावी एवं समयबद्ध प्रयास आवश्यक है। कृपया समय—समय पर उ० ३० प्र० शासन स्तर से निर्गत विभिन्न शासनादेशों का सन्दर्भ ग्रहण करें।

आपके प्रभार के अन्तर्गत संचालित पी०एच०सी० हेतु, अब तक चिह्नित कोविड-19 पॉजिटिव रोगियों की कुल संख्या और विवरण से आपको समय से अवगत कराया जा चुका है। आपके द्वारा दिनांक: 09.8.2020 के दैनिक कार्यों की समेकित सूचना को, डेली मास्टर रिपोर्ट प्रारूप (11 बिन्दुओं की) पर अंकित कर प्रेषित किया गया है। उक्त रिपोर्ट की समीक्षा करने पश्चात निम्न बिन्दुओं के सम्बंध में आपकी लापरवाही व शिथिलता परिलक्षित हो रही है—

01. दैनिक रिपोर्ट के विभिन्न कालमों में अंकित सूचना, मनमाने ढंग से भरी गयी है अथवा अधूरी है।
02. कुल पॉजिटिव मरीज, मेडिकल आइसोलेशन, होम—आइसोलेशन एवं रिकवर्ड रोगियों के कालम में अंकित सूचनाएं परस्पर विरोधाभासी हैं।
03. R.R.T. द्वारा कोविड रोगियों की कुल संख्या के सापेक्ष किया गया भ्रमण व सत्यापन या तो अपूर्ण है अथवा भ्रामक है। 'नाट अलाउड' रोगियों व 'हास्पिटलाइज्ड' मरीजों की संख्या में भिन्नता है, जिसका अर्थ यह है कि गम्भीर रोगी अथवा होम आइसोलेशन हेतु अपात्र रोगी आपकी लापरवाही से खतरनाक स्थिति में रह रहा है। आपका यह कृत्य मानव जीवन अथवा समाज के लोगों को खतरे में डालने जैसे आपराधिक कृत्य की श्रेणी में आता है।
04. औषधि वितरण— लक्षित समूहों की कुल संख्या के सापेक्ष कम है अथवा भ्रामक है।
05. कान्टेक्ट ट्रेसिंग का कार्य— बेहद शिथित है। कुल पॉजिटिव केस के सापेक्ष, औसत कान्टेक्ट पर्सन की संख्या 15 के औसत से काफी कम है। समयबद्ध ढंग से और पर्याप्त मात्रा में कान्टेक्ट पर्सन को चिह्नित न करने की वजह से संक्रमित व्यक्तियों के द्वारा अनजाने में समाज में कोविड—संक्रमण की घटना बढ़ सकती है, जो आपकी शिथिल पर्यवेक्षणीय कार्यशैली की वजह से हो रहा है। इसे आपराधिक कृत्य की श्रेणी में माना जायेगा।
06. सैम्प्लिंग कार्य :—
 - कान्टेक्ट सैम्प्लिंग की संख्या कुल पाजिटीव मरीज व कुल कान्टेक्ट पर्सन्स के सापेक्ष कम है।
 - सर्विलांस सैम्प्ल— कम है।
 - कम्यूनिटी सैम्प्ल— कम है।
 - लक्ष्य के सापेक्ष RTPCR सैम्प्ल की संख्या— कम है।
 - लक्ष्य के सापेक्ष ANTIGEN सैम्प्ल की संख्या— कम है।

07. पोर्टल फीडिंग कार्य :—

- A. पोर्टल फीडिंग कालम में अंकित सूचनाएं भ्रामक हैं। सैम्प्ल आई०डी० व कन्साइंमेन्ट जनरेशन कार्य, लक्ष्य के सापेक्ष कम है।
- B. रिजल्ट अपडेट के कालम में अंकित सूचनाएं अधूरी एवं भ्रामक हैं।

08. होम आइसोलेशन एप की संख्या होम आइसोलेशन में रह रहे रोगियों की संख्या के सापेक्ष कम है।

09. सर्विलांस कार्य, बेहद अपर्याप्त है। जबकि आपकी PHC क्षेत्र में कोविड संक्रमण की संख्या दिन—प्रतिदिन, काफी तेजी से बढ़ रही है। आपके द्वारा समय से सर्विलांस कार्य रणनीतिक ढंग से न कराये जाने एवं सर्विलांस में चिह्नित व्यक्तियों/रोगियों का स्थानीय उपचार न कराने की वजह से, न सिर्फ कोविड संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं बल्कि दुःखद रूप से, को—मार्बिड व्यक्तियों के समक्ष जीवन—मरण का संकट उपस्थित हो रहा है। यह आपकी गम्भीर लापरवाही का द्योतक है।

उल्लंघन प्रदेश सरकार द्वारा अधिसूचित सुसंगत प्रावधानों एवं अधिनियम के अन्तर्गत कोविड महामारी के दौरान शासकीय कर्मचारियों के लिए विभिन्न दायित्व निर्धारित किये गये हैं। जिनका उल्लंघन दण्डनीय एवं आपराधिक कृत्य घोषित किया गया है।

कृपया उपरोक्त अंकित अनियमितताओं के सम्बंध में स्वयं के हस्ताक्षरयुक्त अपना बिन्दुवार स्पष्टीकरण, आज ही लौटती डाक से प्रेषित करें अथवा स्वयं लेकर नियमित समीक्षा भीटिंग अवधि में अधोहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थित हों। नियत समय में स्पष्टीकरण प्राप्त न होने की दशा में यह माना जाएगा कि आपको उक्त नोटिस के सम्बंध में कुछ नहीं कहना है। तदनुसार इसी नोटिस को आरोप पत्र की मान्यता प्रदान करते हुये आपके विभागीय सक्षम प्राधिकारी के समक्ष, आपके विरुद्ध सुसंगत वैधानिक कार्यवाही किए जाने की आख्या प्रेषित कर दी जाएगी, जिसकी जिम्मेदारी आपकी स्वयं की होगी। कोविड-19 महामारी जैसे महत्वपूर्ण कार्य के दृष्टिगत आपका उक्त कृत्य, सुसंगत धाराओं में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराये जाने के सम्बंध में विचारणीय हो सकता है।

प्रतिलिपि— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

01. जिलाधिकारी महोदय वाराणसी।
02. मुख्य चिकित्साधिकारी वाराणसी को सूचनार्थ एवं इस अपेक्षा के साथ कि अग्रिम कार्यवाही करते हुए उक्त नोटिस को सम्बन्धित कार्मिक की व्यक्तिगत पत्रावली में संरक्षित कराना सुनिश्चित करें।
03. श्री अमित उपाध्याय (क० लि०) को इस आशय से कि सम्बन्धित पी०एच०सी० प्रभारी को नोटिस की एक प्रति आज ही तामील कराते हुए द्वितीय प्रति को सम्बन्धित के सतिथि हस्ताक्षर एवं स्वयं के अभिप्रामाणन के साथ कन्ट्रोल सेन्टर में प्रस्तुत करें।

(विनब कमार सिंह)
सहा० चोडल / डिप्टी कलेक्टर
आई०डी०सी०सी०, वाराणसी।

(सहा० चोडल / डिप्टी कलेक्टर
आई०डी०सी०सी०, वाराणसी।

इंटीग्रेटेड कोविड कमाण्ड एण्ड कन्ट्रोल सेन्टर वाराणसी।

समयबद्ध / तत्काल

पत्रांक: 01(17)कोविड19/नोटिस/2020

दिनांक : 09.8.2020

नोटिस

डा० ममता पाण्डेय,
प्रभारी, पी०एच०सी०— मण्डुआडीह, वाराणसी।

आप अवगत हैं कि आपदा के रूप में घोषित कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत, जनपद स्तर पर इस महामारी के रोकथाम के प्रभावी एवं समयबद्ध प्रयास आवश्यक है। कृपया समय-समय पर उ० प्र० शासन स्तर से निर्गत विभिन्न शासनादेशों का सन्दर्भ ग्रहण करें।

आपके प्रभार के अन्तर्गत संचालित पी०एच०सी० हेतु, अब तक चिह्नित कोविड-19 पॉजिटिव रोगियों की कुल संख्या और विवरण से प्रारूप (11 बिन्दुओं की) पर अंकित कर प्रेषित किया गया है। उक्त रिपोर्ट की समीक्षा करने पश्चात निम्न बिन्दुओं के सम्बंध में आपकी लापरवाही व शिथिलता परिलक्षित हो रही है—

1. दैनिक रिपोर्ट के विभिन्न कालमों में अंकित सूचना, मनमाने ढंग से भरी गयी है अथवा अधूरी है।
2. कुल पॉजिटिव मरीज, मेडिकल आइसोलेशन, होम-आइसोलेशन एवं रिकवर्ड रोगियों के कालम में अंकित सूचनाएं परस्पर विरोधाभासी हैं।
3. R.R.T. द्वारा कोविड रोगियों की कुल संख्या के सापेक्ष किया गया भ्रमण व सत्यापन या तो अपूर्ण है अथवा भ्रामक है। 'नाट अलाउड' रोगियों व 'हास्पिटलाइज्ड' मरीजों की संख्या में भिन्नता है, जिसका अर्थ यह है कि गम्भीर रोगी अथवा होम आइसोलेशन को खतरे में डालने जैसे आपराधिक कृत्य की श्रेणी में आता है।
4. औषधि वितरणः— लक्षित समूहों की कुल संख्या के सापेक्ष कम है अथवा भ्रामक है।
5. कान्टेक्ट ट्रैसिंग का कार्यः— बेहद शिथिल है। कुल पॉजिटिव केस के सापेक्ष, औसत कान्टेक्ट पर्सन की संख्या 15 के औसत से काफी कम है। समयबद्ध ढंग से और पर्याप्त मात्रा में कान्टेक्ट पर्सन को चिह्नित न करने की वजह से संक्रमित व्यक्तियों के द्वारा अनजाने में समाज में कोविड-संक्रमण की घटना बढ़ सकती है, जो आपकी शिथिल पर्यवेक्षणीय कार्यशैली की वजह से हो रहा है। इसे आपराधिक कृत्य की श्रेणी में माना जायेगा।
6. सैम्प्लिंग कार्य :—
 - कान्टेक्ट सैम्प्लिंग की संख्या कुल पाजिटिव मरीज व कुल कान्टेक्ट पर्सन के सापेक्ष कम है।
 - सर्विलांस सैम्प्ल— कम है।
 - कम्यूनिटी सैम्प्ल— कम है।
 - लक्ष्य के सापेक्ष RTPCR सैम्प्ल की संख्या— कम है।
 - लक्ष्य के सापेक्ष ANTIGEN सैम्प्ल की संख्या— कम है।

07. पोर्टल फीडिंग कार्य :—

- A. पोर्टल फीडिंग कालम में अंकित सूचनाएं भ्रामक है। सैम्प्ल आई०डी० व कन्साइंमेन्ट जनरेशन कार्य, लक्ष्य के सापेक्ष कम है।
- B. रिजल्ट अपडेट के कालम में अंकित सूचनाएं अधूरी एवं भ्रामक है।

08. होम आइसोलेशन एप की संख्या होम आइसोलेशन में रह रहे रोगियों की संख्या के सापेक्ष कम है।

09. सर्विलांस कार्य, बेहद अपर्याप्त है। जबकि आपकी PHC क्षेत्र में कोविड संक्रमण की संख्या दिन-प्रतिदिन, काफी तेजी से बढ़ रही है। आपके द्वारा समय से सर्विलांस कार्य रणनीतिक ढंग से न कराये जाने एवं सर्विलांस में चिह्नित व्यक्तियों/रोगियों का स्वास्थ्य उपचार न कराने की वजह से, न सिर्फ कोविड संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं बल्कि दुःखद रूप से, को-मार्बिंड व्यक्तियों के समक्ष जीवन-मरण का संकट उपस्थित हो रहा है। यह आपकी गम्भीर लापरवाही का द्योतक है।

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अधिसूचित सुसंगत प्रावधानों एवं अधिनियम के अन्तर्गत कोविड महामारी के दौरान शासकीय कर्मचारियों के लिए विभिन्न दायित्व निर्धारित किये गये हैं। जिनका उल्लंघन दण्डनीय एवं आपराधिक कृत्य घोषित किया गया है।

कृत्य उपरोक्त अंकित अनियमिताओं के सम्बंध में स्वयं के हस्ताक्षरयुक्त अपना बिन्दुवार स्पष्टीकरण, आज ही लौटी डाक से प्रेषित करें। अश्वा स्वयं लेकर नियमित समीक्षा मीटिंग अवधि में अधोहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थित हों। नियत समय में स्पष्टीकरण प्राप्त न होने की दशा में यह माना जाएगा कि आपको उक्त नोटिस के सम्बंध में कुछ नहीं कहना है। तदनुसार इसी नोटिस को आरोप पत्र की मान्यता प्रदान करते हुये आपके विभागीय सक्षम प्राधिकारी के समक्ष, आपके विलङ्घ सुसंगत वैधानिक कार्यवाही किए जाने की आख्या प्रेषित कर दी जाएगी, जिसकी जिम्मेदारी आपकी स्वयं की होगी। कोविड-19 महामारी जैसे महत्वपूर्ण कार्य के दृष्टिगत आपका उक्त कृत्य, सुसंगत धाराओं में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराये जाने के सम्बंध में विचारणीय हो सकता है।

प्रतिलिपि— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

01. जिलाधिकारी महोदय वाराणसी।
02. मुख्य विकासाधिकारी वाराणसी को सूचनार्थ एवं इस अपेक्षा के साथ कि अग्रिम कार्यवाही करते हुए उक्त नोटिस को सम्बन्धित कार्मिक की व्यक्तिगत पत्रावली में संरक्षित कराना सुनिश्चित करें।
03. श्री अमित उपाध्याय (क० लि०) को इस आशय से कि सम्बन्धित पी०एच०सी० प्रभारी को नोटिस की एक प्रति आज ही तामील कराते हुए द्वितीय प्रति को सम्बन्धित के सतिथि हस्ताक्षर एवं स्वयं के अभिप्रामाणन के साथ कन्ट्रोल सेन्टर में प्रस्तुत करें।

सहा० नोडल/डिप्टी कलेक्टर
आई०सी०सी०सी०, वाराणसी।

इंटीग्रेटेड कोविड कमाण्ड एण्ड कन्ट्रोल सेन्टर वाराणसी।

पत्रांक: 01(18)कोविड19 / नोटिस / 2020

समयबद्ध / तत्काल

दिनांक : 09.8.2020

नोटिस

डा० संगीता मौर्या

प्रभारी, पी०एच०सी०— अर्दलीबाजार, वाराणसी।

आप अवगत हैं कि आपदा के रूप में घोषित कोविड-19 महामारी के वृष्टिगत, जनपद स्तर पर इस महामारी के रोकथाम के प्रभावी एवं समयबद्ध प्रयास आवश्यक है। कृपया समय-समय पर उ० प्र० शासन स्तर से निर्गत विभिन्न शासनादेशों का सन्दर्भ ग्रहण करें।

आपके प्रभार के अन्तर्गत संचालित पी०एच०सी० हेतु, अब तक चिह्नित कोविड-19 पॉजिटिव रोगियों की कुल संख्या और विवरण से प्रारूप (11 बिन्दुओं की) पर अंकित कर प्रेषित किया गया है। उक्त रिपोर्ट की समीक्षा करने पश्चात निम्न बिन्दुओं के सम्बंध में आपकी लापरवाही व शिथिलता परिलक्षित हो रही है –

01. दैनिक रिपोर्ट के विभिन्न कालमों में अंकित सूचना, मनमाने ढंग से भरी गयी है अथवा अधूरी है।
02. कुल पॉजिटिव मरीज, मेडिकल आइसोलेशन, होम-आइसोलेशन एवं रिकवर्ड रोगियों के कालम में अंकित सूचनाएं परस्पर विरोधाभासी हैं।
03. R.R.T. द्वारा कोविड रोगियों की कुल संख्या के सापेक्ष किया गया भ्रमण व सत्यापन या तो अपूर्ण है अथवा भ्रामक है। 'नाट अलाउड' रोगियों व 'हास्पिटलाइज्ड' मरीजों की संख्या में भिन्नता है, जिसका अर्थ यह है कि गम्भीर रोगी अथवा होम आइसोलेशन हेतु अपात्र रोगी आपकी लापरवाही से खतरनाक स्थिति में रह रहा है। आपका यह कृत्य मानव जीवन अथवा समाज के लोगों को खतरे में डालने जैसे आपराधिक कृत्य की श्रेणी में आता है।
04. औषधि वितरण:- लक्षित समूहों की कुल संख्या के सापेक्ष कम है अथवा भ्रामक है।
05. कान्ट्रेक्ट ट्रेसिंग का कार्य:- बेहद शिथिल है। कुल पॉजिटिव केस के सापेक्ष, औसत कान्ट्रेक्ट पर्सन की संख्या 15 के औसत से काफी कम है। समयबद्ध ढंग से और पर्याप्त मात्रा में कान्ट्रेक्ट पर्सन को चिह्नित न करने की वजह से संक्रमित व्यक्तियों के द्वारा अनजाने में समाज में कोविड-संक्रमण की घटना बढ़ सकती है, जो आपकी शिथिल पर्यवेक्षणीय कार्यशैली की वजह से हो रहा है। इसे आपराधिक कृत्य की श्रेणी में माना जायेगा।
06. सैम्प्लिंग कार्य :-
 - कान्ट्रेक्ट सैम्प्लिंग की संख्या कुल पाजिटीव मरीज व कुल कान्ट्रेक्ट पर्सन्स के सापेक्ष कम है।
 - सर्विलांस सैम्प्ल- कम है।
 - कम्यूनिटी सैम्प्ल- कम है।
 - लक्ष्य के सापेक्ष RTPCR सैम्प्ल की संख्या- कम है।
 - लक्ष्य के सापेक्ष ANTIGEN सैम्प्ल की संख्या- कम है।

07. पोर्टल फीडिंग कार्य :-

- A. पोर्टल फीडिंग कालम में अंकित सूचनाएं भ्रामक हैं। सैम्प्ल आई०डी० व कन्साइंमेन्ट जनरेशन कार्य, लक्ष्य के सापेक्ष कम है।
- B. रिजल्ट अपडेट के कालम में अंकित सूचनाएं अधूरी एवं भ्रामक हैं।

08. होम आइसोलेशन एप की संख्या होम आइसोलेशन में रह रहे रोगियों की संख्या के सापेक्ष कम है।

09. सर्विलांस कार्य, बेहद अपर्याप्त है। जबकि आपकी PHC क्षेत्र में कोविड संक्रमण की संख्या दिन-प्रतिदिन, काफी तेजी से बढ़ रही है। आपके द्वारा समय से सर्विलांस कार्य रणनीतिक ढंग से न कराये जाने एवं सर्विलांस में चिह्नित व्यक्तियों/रोगियों का स्वारूप उपचार न कराने की वजह से, न सिर्फ कोविड संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं बल्कि दुःखद रूप से, को-मार्बिड व्यक्तियों के समक्ष जीवन-मरण का संकट उपस्थित हो रहा है। यह आपकी गम्भीर लापरवाही का घोटाल है।

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अधिसूचित सुसंगत प्रावधानों एवं अधिनियम के अन्तर्गत कोविड महामारी के दौरान शासकीय कर्मचारियों के लिए विभिन्न दायित्व निर्धारित किये गये हैं। जिनका उल्लंघन दण्डनीय एवं आपराधिक कृत्य घोषित किया गया है।

कृपया उपरोक्त अंकित अनियमितताओं के सम्बंध में स्वयं के हस्ताक्षरयुक्त अपना बिन्दुवार स्पष्टीकरण, आज ही लौटती डाक से प्रेषित करें अथवा स्वयं लेकर नियमित समीक्षा भीटिंग अवधि में अधोहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थित हों। नियत समय में स्पष्टीकरण प्राप्त न होने की दशा में यह माना जाएगा कि आपको उक्त नोटिस के सम्बंध में कुछ नहीं कहना है। तदनुसार इसी नोटिस को आरोप पत्र की मान्यता प्रदान करते हुये आपके विभागीय सक्षम प्राधिकारी के समक्ष, आपके विलम्ब सुसंगत वैधानिक कार्यवाही किए जाने की आख्या प्रेषित कर दी जाएगी, जिसकी जिम्मेदारी आपकी स्वयं की होगी। कोविड-19 महामारी जैसे महत्वपूर्ण कार्य के वृष्टिगत आपका उक्त कृत्य, सुसंगत धाराओं में ग्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराये जाने के सम्बंध में विचारणीय हो सकता है।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

01. जिलाधिकारी महोदय वाराणसी।
02. मुख्य विकासाधिकारी वाराणसी को सूचनार्थ एवं इस अपेक्षा के साथ कि अग्रिम कार्यवाही करते हुए उक्त नोटिस को सम्बन्धित कार्मिक की व्यक्तिगत पत्रावली में संरक्षित कराना सुनिश्चित करें।
03. श्री अमित उपाध्याय (क० लि०) को इस आशय से कि सम्बन्धित पी०एच०सी० प्रभारी को नोटिस की एक प्रति आज ही तामील कराते हुए द्वितीय प्रति को सम्बन्धित के सतिथि हस्ताक्षर एवं स्वयं के अभिप्रामाण के साथ कन्ट्रोल सेन्टर में प्रस्तुत करें।

(विनय कुमार सिंह)
सहा० नोडल/डिप्टी कलेक्टर
आई०सी०सी०सी०, वाराणसी।

सहा० नोडल/डिप्टी कलेक्टर
आई०सी०सी०सी०, वाराणसी।

इंटीग्रेटेड कोविड कमाण्ड एण्ड कन्ट्रोल सेन्टर वाराणसी।

पत्रांक: 01(19)कोविड19 / नोटिस / 2020

दिनांक : 09.8.2020

नोटिस

डा० निधि पाण्डेय

प्रभारी, पी०एच०सी०— पाण्डेयपुर, वाराणसी।

आप अवगत हैं कि आपदा के रूप में घोषित कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत, जनपद स्तर पर इस महामारी के रोकथाम के प्रभावी एवं समयबद्ध प्रयास आवश्यक है। कृपया समय-समय पर उ० प्र० शासन स्तर से निर्गत विभिन्न शासनादेशों का सन्दर्भ ग्रहण करें।

आपके प्रभार के अन्तर्गत संचालित पी०एच०सी० हेतु, अब तक चिह्नित कोविड-19 पॉजिटिव रोगियों की कुल संख्या और विवरण से आपको समय से अवगत कराया जा चुका है। आपके द्वारा दिनांक: 09.8.2020 के दैनिक कार्यों की समेकित सूचना को, डेली मास्टर रिपोर्ट प्रारूप (11 बिन्दुओं की) पर अंकित कर प्रेषित किया गया है। उक्त रिपोर्ट की समीक्षा करने पश्चात निम्न बिन्दुओं के सम्बंध में आपकी लापरवाही व शिथिलता परिलक्षित हो रही है —

01. दैनिक रिपोर्ट के विभिन्न कालमों में अंकित सूचना, मनमाने ढंग से भरी गयी है अथवा अधूरी है।
02. कुल पॉजिटिव मरीज, मेडिकल आइसोलेशन, होम-आइसोलेशन एवं रिकवर्ड रोगियों के कालम में अंकित सूचनाएं परस्पर विरोधाभासी हैं।
03. R.R.T. द्वारा कोविड रोगियों की कुल संख्या के सापेक्ष किया गया भ्रमण व सत्यापन या तो अपूर्ण है अथवा भ्रामक है। 'नाट अलाउड' रोगियों व 'हास्पिटलाइज्ड' मरीजों की संख्या में भिन्नता है, जिसका अर्थ यह है कि गम्भीर रोगी अथवा होम आइसोलेशन हेतु अपात्र रोगी आपकी लापरवाही से खतरनाक स्थिति में रह रहा है। आपका यह कृत्य मानव जीवन अथवा समाज के लोगों को खतरे में डालने जैसे आपराधिक कृत्य की श्रेणी में आता है।
04. औषधि वितरणः— लक्षित समूहों की कुल संख्या के सापेक्ष कम है अथवा भ्रामक है।
05. कान्टेक्ट ट्रैसिंग का कार्यः— बेहद शिथिल है। कुल पॉजिटिव केस के सापेक्ष, औसत कान्टेक्ट पर्सन की संख्या 15 के औसत से काफी कम है। समयबद्ध ढंग से और पर्याप्त मात्रा में कान्टेक्ट पर्सन को चिह्नित न करने की वजह से संक्रमित व्यक्तियों के द्वारा अनजाने में समाज में कोविड-संक्रमण की घटना बढ़ सकती है, जो आपकी शिथिल पर्यवेक्षणीय कार्यशैली की वजह से हो रहा है। इसे आपराधिक कृत्य की श्रेणी में माना जायेगा।
06. सैम्पलिंग कार्यः—
 - कान्टेक्ट सैम्पलिंग की संख्या कुल पाजिटीव मरीज व कुल कान्टेक्ट पर्सन के सापेक्ष कम है।
 - सर्विलांस सैम्पल— कम है।
 - कम्प्यूनिटी सैम्पल— कम है।
 - लक्ष्य के सापेक्ष RTPCR सैम्पल की संख्या— कम है।
 - लक्ष्य के सापेक्ष ANTIGEN सैम्पल की संख्या— कम है।

07. पोर्टल फीडिंग कार्यः—

- A. पोर्टल फीडिंग कालम में अंकित सूचनाएं भ्रामक है। सैम्पल आई०डी० व कन्साइंमेन्ट जनरेशन कार्य, लक्ष्य के सापेक्ष कम है।
- B. रिजल्ट अपडेट के कालम में अंकित सूचनाएं अधूरी एवं भ्रामक हैं।

08. होम आइसोलेशन एप की संख्या होम आइसोलेशन में रह रहे रोगियों की संख्या के सापेक्ष कम है।

09. सर्विलांस कार्य, बेहद अपर्याप्त है। जबकि आपकी PHC क्षेत्र में कोविड संक्रमण की संख्या दिन-प्रतिदिन, काफी तेजी से बढ़ रही है। आपके द्वारा समय से सर्विलांस कार्य रणनीतिक ढंग से न कराये जाने एवं सर्विलांस में चिह्नित व्यक्तियों/रोगियों का स्वास्थ्य उपचार न कराने की वजह से, न सिर्फ कोविड संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं बल्कि दुःखद रूप से, को-मार्बिंड व्यक्तियों के समक्ष जीवन-मरण का संकट उपस्थित हो रहा है। यह आपकी गम्भीर लापरवाही का द्योतक है।

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अधिसूचित सुसंगत प्रावधानों एवं अधिनियम के अन्तर्गत कोविड महामारी के दौरान शासकीय कर्मचारियों के लिए विभिन्न दायित्व निर्धारित किये गये हैं। जिनका उल्लंघन दण्डनीय एवं आपराधिक कृत्य घोषित किया गया है।

कृपया उपरोक्त अंकित अनियमिताओं के सम्बंध में स्वयं के हस्ताक्षरयुक्त अपना बिन्दुवार स्पष्टीकरण, आज ही लौटती डाक से प्रेषित करें अथवा स्वयं लेकर नियमित समीक्षा मीटिंग अवधि में अधोहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थित हों। नियत समय में स्पष्टीकरण प्राप्त न होने की दशा में यह माना जाएगा कि आपको उक्त नोटिस के सम्बंध में कुछ नहीं कहना है। तदनुसार इसी नोटिस को आरोप पत्र की मान्यता प्रदान करते हुये आपके विभागीय सक्षम प्राधिकारी के समक्ष, आपके विरुद्ध सुसंगत वैधानिक कार्यवाही किए जाने की आश्या प्रेषित कर दी जाएगी, जिसकी जिम्मेदारी आपकी स्वयं की होगी। कोविड-19 महामारी जैसे महत्वपूर्ण कार्य के दृष्टिगत आपका उक्त कृत्य, सुसंगत धाराओं में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराये जाने के सम्बंध में विचारणीय हो सकता है।

प्रतिलिपि— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

01. जिलाधिकारी महोदय वाराणसी।
02. मुख्य चिकित्साधिकारी वाराणसी को सूचनार्थ एवं इस अपेक्षा के साथ कि अग्रिम कार्यवाही करते हुए उक्त नोटिस को सम्बन्धित कार्मिक की व्यक्तिगत पत्रावली में संरक्षित कराना सुनिश्चित करें।
03. श्री अमित उपाध्याय (क० लि०) को इस आशय से कि सम्बन्धित पी०एच०सी० प्रभारी को नोटिस की एक प्रति आज ही तामील कराते हुए द्वितीय प्रति को सम्बन्धित के सतिथि हस्ताक्षर एवं स्वयं के अभिप्रामाणन के साथ कन्ट्रोल सेन्टर में प्रस्तुत करें।

(विनय कुमार सिंह)
सहा० नोडल / डिप्टी कलेक्टर
आई०सी०सी०सी०, वाराणसी।

(सहा० नोडल / डिप्टी कलेक्टर
आई०सी०सी०सी०, वाराणसी।

इंटीग्रेटेड कोविड कमाण्ड एण्ड कन्ट्रोल सेन्टर वाराणसी।

पत्रांक: 01(20)कोविड19 / नोटिस / 2020

दिनांक : 09.8.2020

नोटिस

डा० हरिशचन्द्र मौर्या

प्रभारी, पी०एच०सी०— पिण्डरा वाराणसी।

आप अवगत हैं कि आपदा के रूप में घोषित कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत, जनपद स्तर पर इस महामारी के रोकथाम के प्रभावी एवं समयबद्ध प्रयास आवश्यक है। कृपया समय-समय पर उ० प्र० शासन स्तर से निर्गत विभिन्न शासनादेशों का सन्दर्भ ग्रहण करें।

आपके प्रभार के अन्तर्गत संचालित पी०एच०सी० हेतु, अब तक चिन्हित कोविड-19 पॉजिटिव रोगियों की कुल संख्या और विवरण से आपको समय से अवगत कराया जा चुका है। आपके द्वारा दिनांक: 09.8.2020 के दैनिक कार्यों की समेकित सूचना को, डेली मास्टर रिपोर्ट प्रारूप (11 बिन्दुओं की) पर अंकित कर प्रेषित किया गया है। उक्त रिपोर्ट की समीक्षा करने पश्चात निम्न बिन्दुओं के सम्बंध में आपकी लापरवाही व शिथिलता परिलक्षित हो रही है –

1. दैनिक रिपोर्ट के विभिन्न कालमों में अंकित सूचना, मनमाने ढंग से भरी गयी है अथवा अधूरी है।
2. कुल पॉजिटिव मरीज, मेडिकल आइसोलेशन, होम-आइसोलेशन एवं रिकवर्ड रोगियों के कालम में अंकित सूचनाएं परस्पर विरोधाभासी हैं।
3. R.R.T. द्वारा कोविड रोगियों की कुल संख्या के सापेक्ष किया गया भ्रमण व सत्यापन या तो अपूर्ण है अथवा भ्रामक है। 'नाट अलाउड' रोगियों व 'हास्पिटलाइज्ड' मरीजों की संख्या में भिन्नता है, जिसका अर्थ यह है कि गम्भीर रोगी अथवा होम आइसोलेशन हेतु अपात्र रोगी आपकी लापरवाही से खतरनाक स्थिति में रह रहा है। आपका यह कृत्य मानव जीवन अथवा समाज के लोगों को खतरे में डालने जैसे आपराधिक कृत्य की श्रेणी में आता है।
4. औषधि वितरण— लक्षित समूहों की कुल संख्या के सापेक्ष कम है अथवा भ्रामक है।
5. कान्टेक्ट ट्रेसिंग का कार्यः— बेहद शिथिल है। कुल पॉजिटिव केस के सापेक्ष, औसत कान्टेक्ट पर्सन की संख्या 15 के औसत से काफी कम है। समयबद्ध ढंग से और पर्याप्त मात्रा में कान्टेक्ट पर्सन को चिन्हित न करने की वजह से संक्रमित व्यक्तियों के द्वारा अनजाने में समाज में कोविड-संक्रमण की घटना बढ़ सकती है, जो आपकी शिथिल पर्यवेक्षणीय कार्यशैली की वजह से हो रहा है। इसे आपराधिक कृत्य की श्रेणी में माना जायेगा।
6. सैम्प्लिंग कार्यः—
 - कान्टेक्ट सैम्प्लिंग की संख्या कुल पाजिटीव मरीज व कुल कान्टेक्ट पर्सन्स के सापेक्ष कम है।
 - सर्विलांस सैम्प्ल— कम है।
 - कम्यूनिटी सैम्प्ल— कम है।
 - लक्ष्य के सापेक्ष RTPCR सैम्प्ल की संख्या— कम है।
 - लक्ष्य के सापेक्ष ANTIGEN सैम्प्ल की संख्या— कम है।

07. पोर्टल फीडिंग कार्यः—


- A. पोर्टल फीडिंग कालम में अंकित सूचनाएं भ्रामक हैं। सैम्प्ल आई०डी० व कन्साइंसेन्ट जनरेशन कार्य, लक्ष्य के सापेक्ष कम है।
- B. रिजल्ट अपडेट के कालम में अंकित सूचनाएं अधूरी एवं भ्रामक हैं।
08. होम आइसोलेशन एप की संख्या होम आइसोलेशन में रह रहे रोगियों की संख्या के सापेक्ष कम है।
09. सर्विलांस कार्य, बेहद अपर्याप्त है। जबकि आपकी PHC क्षेत्र में कोविड संक्रमण की संख्या दिन-प्रतिदिन, काफी तेजी से बढ़ रही है। आपके द्वारा समय से सर्विलांस कार्य रणनीतिक ढंग से न कराये जाने एवं सर्विलांस में चिन्हित व्यक्तियों/रोगियों का स्वास्थ्य उपचार न कराने की वजह से, न सिर्फ कोविड संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं बल्कि दुखद रूप से, को-मार्बिड व्यक्तियों के समक्ष जीवन-मरण का संकट उपस्थित हो रहा है। यह आपकी गम्भीर लापरवाही का दोतक है।

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अधिसूचित सुसंगत प्रावधानों एवं अधिनियम के अन्तर्गत कोविड महामारी के दौरान शासकीय कर्मचारियों के लिए विभिन्न दायित्व निर्धारित किये गये हैं। जिनका उल्लंघन दण्डनीय एवं आपराधिक कृत्य घोषित किया गया है।

कृपया उपरोक्त अंकित अनियमितताओं के सम्बंध में स्वयं के हस्ताक्षरयुक्त अपना बिन्दुवार स्पष्टीकरण, आज ही लौटती डाक से प्रेषित करें अथवा स्वयं लेकर नियमित समीक्षा भीटिंग अवधि में अधोहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थित हों। नियत समय में स्पष्टीकरण प्राप्त न होने की दशा में यह माना जाएगा कि आपको उक्त नोटिस के सम्बंध में कुछ नहीं कहना है। तदनुसार इसी नोटिस को आरोप पत्र की मान्यता प्रदान करते हुये आपके विभागीय सक्षम प्राधिकारी के समक्ष, आपके विरुद्ध सुसंगत वैधानिक कार्यवाही किए जाने की आख्या प्रेषित कर दी जाएगी, जिसकी जिम्मेदारी आपकी स्वयं की होगी। कोविड-19 महामारी जैसे महत्वपूर्ण कार्य के दृष्टिगत आपका उक्त कृत्य, सुसंगत धाराओं में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराये जाने के सम्बंध में विचारणीय हो सकता है।


प्रतिलिपि— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

01. जिलाधिकारी महोदय वाराणसी।
02. मुख्य विकासाधिकारी वाराणसी को सूचनार्थ एवं इस अपेक्षा के साथ किए गये कार्यवाही करते हुए उक्त नोटिस को सम्बन्धित कार्मिक की व्यक्तिगत पत्रावली में संरक्षित कराना सुनिश्चित करें।
03. श्री अमित उपाध्याय (क० लि�०) को इस आशय से कि सम्बन्धित पी०एच०सी० प्रभारी को नोटिस की एक प्रति आज ही तारीख कराते हुए द्वितीय प्रति को सम्बन्धित के सतिथि हस्ताक्षर एवं स्वयं के अभिप्रामाणन के साथ कन्ट्रोल सेन्टर में प्रस्तुरी करें।



(विनय कुमार सिंह)

सहा० नोडल/डिप्टी कलेक्टर
आई०डी०सी०सी०, वाराणसी।



सहा० नोडल/डिप्टी कलेक्टर
आर्द्धसी०सी०सी० वाराणसी।

इंटीग्रेटेड कोविड कमाण्ड एण्ड कन्ट्रोल सेन्टर वाराणसी।

पत्रांक: 01(21)कोविड19 / नोटिस / 2020

दिनांक : 09.8.2020

नोटिस

डा० हेमन्त शर्मा

प्रभारी, पी०एच०सी०– सदर बाजार वाराणसी।

आप अवगत हैं कि आपदा के रूप में घोषित कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत, जनपद स्तर पर इस महामारी के रोकथाम के प्रभावी एवं समयबद्ध प्रयास आवश्यक है। कृपया समय-समय पर उ० प्र० शासन स्तर से निर्गत विभिन्न शासनादेशों का सन्दर्भ ग्रहण करें।

आपके प्रभार के अन्तर्गत संचालित पी०एच०सी० हेतु, अब तक चिह्नित कोविड-19 पॉजिटिव रोगियों की कुल संख्या और विवरण से आपको समय से अवगत कराया जा चुका है। आपके द्वारा दिनांक: 09.8.2020 के दैनिक कार्यों की समेकित सूचना को, डेली मास्टर रिपोर्ट प्रारूप (11 बिन्दुओं की) पर अंकित कर प्रेषित किया गया है। उक्त रिपोर्ट की समीक्षा करने पश्चात निम्न बिन्दुओं के सम्बंध में आपकी लापरवाही व शिथिलता परिलक्षित हो रही है –

01. दैनिक रिपोर्ट के विभिन्न कालमों में अंकित सूचना, मनमाने ढंग से भरी गयी है अथवा अधूरी है।
 02. कुल पॉजिटिव मरीज, भेड़िकल आइसोलेशन, होम-आइसोलेशन एवं रिकवर्ड रोगियों के कालम में अंकित सूचनाएं परस्पर विरोधाभासी हैं।
 03. R.R.T. द्वारा कोविड रोगियों की कुल संख्या के सापेक्ष किया गया भ्रमण व सत्यापन या तो अपूर्ण है अथवा भ्रामक है। 'नाट अलाउड' रोगियों व 'हास्पिटलाइज्ड' मरीजों की संख्या में भिन्नता है, जिसका अर्थ यह है कि गम्भीर रोगी अथवा होम आइसोलेशन हेतु अपात्र रोगी आपकी लापरवाही से खतरनाक स्थिति में रह रहा है। आपका यह कृत्य मानव जीवन अथवा समाज के लोगों को खतरे में डालने जैसे आपराधिक कृत्य की श्रेणी में आता है।
 04. औषधि वितरणः— लक्षित समूहों की कुल संख्या के सापेक्ष कम है अथवा भ्रामक है।
 05. कान्टेक्ट ट्रेसिंग का कार्यः— बेहद शिथिल है। कुल पॉजिटिव केस के सापेक्ष, औसत कान्टेक्ट पर्सन की संख्या 15 के औसत से काफी कम है। समयबद्ध ढंग से और पर्याप्त मात्रा में कान्टेक्ट पर्सन को चिह्नित न करने की वजह से संक्रमित व्यक्तियों के द्वारा अनजाने में समाज में कोविड-संक्रमण की घटना बढ़ सकती है, जो आपकी शिथिल पर्यवेक्षणीय कार्यशैली की वजह से हो रहा है। इसे आपराधिक कृत्य की श्रेणी में माना जायेगा।
 06. सैम्प्लिंग कार्यः—
 - कान्टेक्ट सैम्प्लिंग की संख्या कुल पाजिटीव मरीज व कुल कान्टेक्ट पर्सन्स के सापेक्ष कम है।
 - सर्विलांस सैम्प्ल— कम है।
 - कम्पूनिटी सैम्प्ल— कम है।
 - लक्ष्य के सापेक्ष RTPCR सैम्प्ल की संख्या— कम है।
 - लक्ष्य के सापेक्ष ANTIGEN सैम्प्ल की संख्या— कम है।
 07. पोर्टल फीडिंग कार्यः—
 - A. पोर्टल फीडिंग कालम में अंकित सूचनाएं भ्रामक हैं। सैम्प्ल आई०डी० व कन्साइंमेन्ट जनरेशन कार्य, लक्ष्य के सापेक्ष कम है।
 - B. रिजल्ट अपडेट के कालम में अंकित सूचनाएं अधूरी एवं भ्रामक हैं।
 08. होम आइसोलेशन एप की संख्या होम आइसोलेशन में रह रहे रोगियों की संख्या के सापेक्ष कम है।
 09. सर्विलांस कार्य, बेहद अपर्याप्त है। जबकि आपकी PHC क्षेत्र में कोविड संक्रमण की संख्या दिन-प्रतिदिन, काफी तेजी से बढ़ रही है। आपके द्वारा समय से सर्विलांस कार्य रणनीतिक ढंग से न कराये जाने एवं सर्विलांस में चिह्नित व्यक्तियों/रोगियों का स्वास्थ्य उपचार न करने की वजह से, न सिर्फ कोविड संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं बल्कि दुःखद रूप से, को-मार्बिड व्यक्तियों के समक्ष जीवन-मरण का संकट उपस्थित हो रहा है। यह आपकी गम्भीर लापरवाही का द्योतक है।
 - उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अधिसूचित सुसंगत प्रावधानों एवं अधिनियम के अन्तर्गत कोविड महामारी के दौरान शासकीय कर्मचारियों के लिए विभिन्न दायित्व निर्धारित किये गये हैं। जिनका उल्लंघन दण्डनीय एवं आपराधिक कृत्य घोषित किया गया है।
- कृपया उपरोक्त अंकित अनियमितताओं के सम्बंध में स्वयं के हस्ताक्षरयुक्त अपना बिन्दुवार स्पष्टीकरण, आज ही लौटती जाक से प्रेषित करें अथवा स्वयं लेकर नियमित समीक्षा मीटिंग अवधि में अधोहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थित हों। नियमत समय में स्पष्टीकरण प्राप्त न होने की दशा में यह माना जाएगा कि आपको उक्त नोटिस के सम्बंध में कुछ नहीं कहना है। तदनुसार इसी नोटिस को आरोप पत्र की मान्यता प्रदान करते हुये आपके विभागीय सक्षम प्राधिकारी के समक्ष, आपके विरुद्ध सुसंगत वैधानिक कार्यवाही किए जाने की आश्या प्रेषित कर दी जाएगी, जिसकी जिम्मेदारी आपकी स्वयं की होगी। कोविड-19 महामारी जैसे महत्वपूर्ण कार्य के दृष्टिगत आपका उक्त कृत्य, सुसंगत धाराओं में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराये जाने के सम्बंध में विचारणीय हो सकता है।

प्रतिलिपि— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

01. जिलाधिकारी महोदय वाराणसी।
02. मुख्य चिकित्साधिकारी वाराणसी को सूचनार्थ एवं इस अपेक्षा के साथ कि अग्रिम कार्यवाही करते हुए उक्त नोटिस को सम्बन्धित कार्मिक की व्यवितरण पत्रावली में संरक्षित कराना सुनिश्चित करें।
03. श्री अमित उपाध्याय (क० लि०) को इस आशय से कि सम्बन्धित पी०एच०सी० प्रभारी को नोटिस की एक प्रति आज ही तामील कराते हुए द्वितीय प्रति को सम्बन्धित के सतीशि हस्ताक्षर एवं स्वयं के अभिप्रामाणन के साथ कन्ट्रोल सेन्टर में प्रस्तुत करें।

७ सहा० नोडल / डिप्टी कलेक्टर
आई०सी०सी०सी०, वाराणसी।

७ सहा० नोडल / डिप्टी कलेक्टर
आई०सी०सी०सी०, वाराणसी।

इंटीग्रेटेड कोविड कमाण्ड एण्ड कन्ट्रोल सेन्टर वाराणसी।

पत्रांक: 01(22)कोविड19 / नोटिस / 2020

दिनांक : 09.8.2020

नोटिस

डा० निधि गुप्ता

प्रभारी, पी०एच०सी०— सेवासदन वाराणसी।

आप अवगत हैं कि आपदा के रूप में घोषित कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत, जनपद स्तर पर इस महामारी के रोकथाम के प्रभावी एवं समयबद्ध प्रयास आवश्यक है। कृपया समय-समय पर उ० प्र० शासन स्तर से निर्गत विभिन्न शासनादेशों का सन्दर्भ ग्रहण करें।

आपके प्रभार के अन्तर्गत संचालित पी०एच०सी० हेतु, अब तक चिह्नित कोविड-19 पॉजिटिव रोगियों की कुल संख्या और विवरण से आपको समय से अवगत कराया जा चुका है। आपके द्वारा दिनांक: 09.8.2020 के दैनिक कार्यों की समेकित सूचना को, डेली मास्टर रिपोर्ट प्रारूप (11 बिन्दुओं की) पर अंकित कर प्रेषित किया गया है। उक्त रिपोर्ट की समीक्षा करने पश्चात निम्न बिन्दुओं के सम्बंध में आपकी लापरवाही व शिथिलता परिलक्षित हो रही है—

01. दैनिक रिपोर्ट के विभिन्न कालमों में अंकित सूचना, मनमाने ढंग से भरी गयी है अथवा अधूरी है।
02. कुल पॉजिटिव मरीज, मेडिकल आइसोलेशन, होम-आइसोलेशन एवं रिकवर्ड रोगियों के कालम में अंकित सूचनाएं परस्पर विरोधाभासी हैं।
03. R.R.T. द्वारा कोविड रोगियों की कुल संख्या के सापेक्ष किया गया भ्रमण व सत्यापन या तो अपूर्ण है अथवा भ्रामक है। 'नाट अलाउड' रोगियों व 'हास्पिटलाइज्ड' मरीजों की संख्या में भिन्नता है, जिसका अर्थ यह है कि गम्भीर रोगी अथवा होम आइसोलेशन हेतु अपात्र रोगी आपकी लापरवाही से खतरनाक स्थिति में रह रहा है। आपका यह कृत्य मानव जीवन अथवा समाज के लोगों को खतरे में डालने जैसे आपराधिक कृत्य की श्रेणी में आता है।
04. औषधि वितरण— लक्षित समूहों की कुल संख्या के सापेक्ष कम है अथवा भ्रामक है।
05. कान्टेक्ट ट्रेसिंग का कार्य— बेहद शिथिल है। कुल पॉजिटिव केस के सापेक्ष, औसत कान्टेक्ट पर्सन की संख्या 15 के औसत से काफी कम है। समयबद्ध ढंग से और पर्याप्त मात्रा में कान्टेक्ट पर्सन को चिह्नित न करने की वजह से संक्रमित व्यक्तियों के द्वारा अनजाने में समाज में कोविड-संक्रमण की घटना बढ़ सकती है, जो आपकी शिथिल पर्यवेक्षणीय कार्यशैली की वजह से हो रहा है। इसे आपराधिक कृत्य की श्रेणी में माना जायेगा।
06. सैम्पलिंग कार्य—
 - कान्टेक्ट सैम्पलिंग की संख्या कुल पाजिटीव मरीज व कुल कान्टेक्ट पर्सन्स के सापेक्ष कम है।
 - सर्विलांस सैम्पल— कम है।
 - कम्यूनिटी सैम्पल— कम है।
 - लक्ष्य के सापेक्ष RTPCR सैम्पल की संख्या— कम है।
 - लक्ष्य के सापेक्ष ANTIGEN सैम्पल की संख्या— कम है।

07. पोर्टल फीडिंग कार्य—

- A. पोर्टल फीडिंग कालम में अंकित सूचनाएं भ्रामक हैं। सैम्पल आई०डी० व कन्साइंमेन्ट जनरेशन कार्य, लक्ष्य के सापेक्ष कम है।
- B. रिजल्ट अपडेट के कालम में अंकित सूचनाएं अधूरी एवं भ्रामक हैं।

08. होम आइसोलेशन एप की संख्या होम आइसोलेशन में रह रहे रोगियों की संख्या के सापेक्ष कम है।

09. सर्विलांस कार्य, बेहद अपर्याप्त है। जबकि आपकी PHC क्षेत्र में कोविड संक्रमण की संख्या दिन-प्रतिदिन, काफी तेजी से बढ़ रही है। आपके द्वारा समय से सर्विलांस कार्य रणनीतिक ढंग से न कराये जाने एवं सर्विलांस में चिह्नित व्यक्तियों/रोगियों का रवास्थ्य उपचार न कराने की वजह से, न सिर्फ कोविड संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं बल्कि दुखद रूप से, को-मार्बिंड व्यक्तियों के समक्ष जीवन-मरण का संकट उपस्थित हो रहा है। यह आपकी गम्भीर लापरवाही का दौतक है।

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अधिसूचित सुसंगत प्रावधानों एवं अधिनियम के अन्तर्गत कोविड महामारी के दौरान शासकीय कर्मचारियों के लिए विभिन्न दायित्व निर्धारित किये गये हैं। जिनका उल्लंघन दण्डनीय एवं आपराधिक कृत्य घोषित किया गया है।

कृपया उपरोक्त अंकित अनियमितताओं के सम्बंध में स्वयं के हस्ताक्षरयुक्त अपना बिन्दुवार स्पष्टीकरण, आज ही लौटती डाक से प्रेषित करें अथवा स्वयं लेकर नियमित समीक्षा भीटिंग अवधि में अधोहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थित हों। नियत समय में स्पष्टीकरण प्राप्त न होने की दशा में यह माना जाएगा कि आपको उक्त नोटिस के सम्बंध में कुछ नहीं कहना है। तदनुसार इसी नोटिस को आरोप पत्र की मान्यता प्रदान करते हुये आपके विभागीय सक्षम प्राधिकारी के समक्ष, आपके विरुद्ध सुसंगत वैधानिक कार्यवाही किए जाने की आख्या प्रेषित कर दी जाएगी, जिसकी जिम्मेदारी आपकी स्वयं की होगी। कोविड-19 महामारी जैसे महत्वपूर्ण कार्य के दृष्टिगत आपका उक्त कृत्य, सुसंगत धाराओं में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराये जाने के सम्बंध में विचारणीय हो सकता है।

प्रतिलिपि— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

01. जिलाधिकारी महोदय वाराणसी।
02. मुख्य चिकित्साधिकारी वाराणसी को सूचनार्थ एवं इस अपेक्षा के साथ कि अग्रिम कार्यवाही करते हुए उक्त नोटिस को सम्बन्धित कार्मिक की व्यक्तिगत पत्रावली में संरक्षित कराना सुनिश्चित करें।
03. श्री अमित उपाध्याय (क० लि�०) को इस आशय से कि सम्बन्धित पी०एच०सी० प्रभारी को नोटिस की एक प्रति आज ही तारीफ कराते हुए द्वितीय प्रति को सम्बन्धित के सतीष्ठि हस्ताक्षर एवं स्वयं के अभिप्रामाणन के साथ कन्ट्रोल सेन्टर में प्रस्तुत करें।

(विनय कुमार सिंह)
सहा० नोडल / डिप्टी कलेक्टर
आई०सी०सी०सी०, वाराणसी।

सहा० नोडल / डिप्टी कलेक्टर
आई०सी०सी०सी० वाराणसी।

इंटीग्रेटेड कोविड कमाण्ड एण्ड कन्ट्रोल सेन्टर वाराणसी।

पत्रांक: 01(23)कोविड19 / नोटिस / 2020

दिनांक : 09.8.2020

नोटिस

डा० वाई०बी०पाठक

प्रभारी, पी०एच०सी०— सेवापुरी वाराणसी।

आप अवगत हैं कि आपदा के रूप में घोषित कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत, जनपद स्तर पर इस महामारी के रोकथाम के प्रभावी एवं समयबद्ध प्रयास आवश्यक है। कृपया समय—समय पर उ० प्र० शासन स्तर से निर्गत विभिन्न शासनादेशों का सन्दर्भ ग्रहण करें।

आपके प्रभार के अन्तर्गत संचालित पी०एच०सी० हेतु, अब तक चिन्हित कोविड-19 पॉजिटिव रोगियों की कुल संख्या और विवरण से आपको समय से अवगत कराया जा चुका है। आपके द्वारा दिनांक: 09.8.2020 के दैनिक कार्यों की समेकित सूचना को, डेली मास्टर रिपोर्ट प्रारूप (11 बिन्दुओं की) पर अंकित कर प्रेषित किया गया है। उक्त रिपोर्ट की समीक्षा करने पश्चात निम्न बिन्दुओं के सम्बंध में आपकी लापरवाही व शिथिलता परिलक्षित हो रही है –

01. दैनिक रिपोर्ट के विभिन्न कालमों में अंकित सूचना, मनमाने ढंग से भरी गयी है अथवा अधूरी है।
02. कुल पॉजिटिव भरीज, मेडिकल आइसोलेशन, होम—आइसोलेशन एवं रिकवर्ड रोगियों के कालम में अंकित सूचनाएं परस्पर विरोधाभासी हैं।
03. R.R.T. द्वारा कोविड रोगियों की कुल संख्या के सापेक्ष किया गया भ्रमण व सत्यापन या तो अपूर्ण है अथवा भ्रामक है। 'नाट अलाउड' रोगियों व 'हास्पिटलाइज्ड' भरीजों की संख्या में भिन्नता है, जिसका अर्थ यह है कि गम्भीर रोगी अथवा होम आइसोलेशन हेतु अपात्र रोगी आपकी लापरवाही से खतरनाक स्थिति में रह रहा है। आपका यह कृत्य मानव जीवन अथवा समाज के लोगों को खतरे में डालने जैसे आपराधिक कृत्य की श्रेणी में आता है।
04. औषधि वितरणः— लक्षित समूहों की कुल संख्या के सापेक्ष कम है अथवा भ्रामक है।
05. कान्टेक्ट ट्रेसिंग का कार्यः— बेहद शिथिल है। कुल पॉजिटिव केस के सापेक्ष, औसत कान्टेक्ट पर्सन की संख्या 15 के औसत से काफी कम है। समयबद्ध ढंग से और पर्याप्त मात्रा में कान्टेक्ट पर्सन को चिह्नित न करने की वजह से संक्रमित व्यक्तियों के द्वारा अनजाने में समाज में कोविड-संक्रमण की घटना बढ़ सकती है, जो आपकी शिथिल पर्यवेक्षणीय कार्यशैली की वजह से हो रहा है। इसे आपराधिक कृत्य की श्रेणी में माना जायेगा।
06. सैम्प्लिंग कार्य :-
 - कान्टेक्ट सैम्प्लिंग की संख्या कुल पाजिटीव भरीज व कुल कान्टेक्ट पर्सन के सापेक्ष कम है।
 - सर्विलांस सैम्प्ल- कम है।
 - कम्फूनिटी सैम्प्ल- कम है।
 - लक्ष्य के सापेक्ष RTPCR सैम्प्ल की संख्या- कम है।
 - लक्ष्य के सापेक्ष ANTIGEN सैम्प्ल की संख्या- कम है।

07. पोर्टल फीडिंग कार्य :-

- A. पोर्टल फीडिंग कालम में अंकित सूचनाएं भ्रामक है। सैम्प्ल आई०डी० व कन्साइंमेन्ट जनरेशन कार्य, लक्ष्य के सापेक्ष कम है।
- B. रिजल्ट अपडेट के कालम में अंकित सूचनाएं अधूरी एवं भ्रामक है।

08. होम आइसोलेशन एप की संख्या होम आइसोलेशन में रह रहे रोगियों की संख्या के सापेक्ष कम है।

09. सर्विलांस कार्य, बेहद अपर्याप्त है। जबकि आपकी PHC क्षेत्र में कोविड संक्रमण की संख्या दिन-प्रतिदिन, काफी तेजी से बढ़ रही है। आपके द्वारा समय से सर्विलांस कार्य रणनीतिक ढंग से न कराये जाने एवं सर्विलांस में चिन्हित व्यक्तियों/रोगियों का स्तास्थ उपचार न कराने की वजह से, न सिर्फ कोविड संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं बल्कि दुःखद रूप से, को-मार्बिड व्यक्तियों के समक्ष जीवन-मरण का संकट उपस्थित हो रहा है। यह आपकी गम्भीर लापरवाही का द्योतक है।

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अधिसूचित सुसंगत प्रावधानों एवं अधिनियम के अन्तर्गत कोविड महामारी के दौरान शासकीय कर्मचारियों के लिए विभिन्न दायित्व निर्धारित किये गये हैं। जिनका उल्लंघन दण्डनीय एवं आपराधिक कृत्य घोषित किया गया है।

कृपया उपरोक्त अंकित अनियमितताओं के सम्बंध में स्वयं के हस्ताक्षरयुक्त अपना बिन्दुवार स्पष्टीकरण, आज ही लौटती डाक से प्रेषित करें अथवा स्वयं लेकर नियमित समीक्षा मीटिंग अवधि में अधोहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थित हों। नियत समय में स्पष्टीकरण प्राप्त न होने की दशा में यह माना जाएगा कि आपको उक्त नोटिस के सम्बंध में कुछ नहीं कहना है। तदनुसार इसी नोटिस को आरोप पत्र की मान्यता प्रदान करते हुये आपके विभागीय सक्षम प्राधिकारी के समक्ष, आपके विरुद्ध सुसंगत वैधानिक कार्यवाही किए जाने की आख्या प्रेषित कर दी जाएगी, जिसकी जिम्मेदारी आपकी स्वयं की होगी। कोविड-19 महामारी जैसे महत्वपूर्ण कार्य के दृष्टिगत आपका उक्त कृत्य, सुसंगत धाराओं में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराये जाने के सम्बंध में विचारणीय हो सकता है।

प्रतिलिपि— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

01. जिलाधिकारी महोदय वाराणसी।
02. मुख्य चिकित्साधिकारी वाराणसी को सूचनार्थ एवं इस अपेक्षा के साथ कि अग्रिम कार्यवाही करते हुए उक्त नोटिस को सम्बन्धित कार्मिक की व्यक्तिगत पत्रावली में संरक्षित कराना सुनिश्चित करें।
03. श्री अमित उपाध्याय (क० लि�०) को इस आशय से कि सम्बन्धित पी०एच०सी० प्रभारी को नोटिस की एक प्रति आज ही तामील कराते हुए द्वितीय प्रति को सम्बन्धित के सतिथि हस्ताक्षर एवं स्वयं के अभिप्रामाणन के साथ कन्ट्रोल सेन्टर में प्रस्तुत करें।

(विनय कुमार सिंह)
सहा० नोडल/डिप्टी कलेक्टर
आई०सी०सी०सी०, वाराणसी।

9 सहा० नोडल/डिप्टी कलेक्टर
आई०सी०सी०सी०, वाराणसी।

इंटीग्रेटेड कोविड कमाण्ड एण्ड कन्ट्रोल सेन्टर वाराणसी।

पत्रांक: 01(24)कोविड19 / नोटिस / 2020

दिनांक : 09.8.2020

नोटिस

डा अनिला सिंह

प्रभारी, पी०एच०सी०– शिवपुर वाराणसी।

आप अवगत हैं कि आपदा के रूप में घोषित कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत, जनपद स्तर पर इस महामारी के रोकथाम के प्रभावी एवं समयबद्ध प्रयास आवश्यक है। कृपया समय-समय पर उ० प्र० शासन स्तर से निर्गत विभिन्न शासनादेशों का सन्दर्भ ग्रहण करें।

आपके प्रभार के अन्तर्गत संचालित पी०एच०सी० हेतु, अब तक चिन्हित कोविड-19 पॉजिटिव रोगियों की कुल संख्या और विवरण से आपको समय से अवगत कराया जा चुका है। आपके द्वारा दिनांक: 09.8.2020 के दैनिक कार्यों की समेकित सूचना को, डेली मास्टर रिपोर्ट प्रारूप (11 बिन्दुओं की) पर अंकित कर प्रेषित किया गया है। उक्त रिपोर्ट की समीक्षा करने पश्चात निम्न बिन्दुओं के सम्बंध में आपकी लापरवाही व शिथिलता परिलक्षित हो रही है –

01. दैनिक रिपोर्ट के विभिन्न कालमों में अंकित सूचना, मनमाने ढंग से भरी गयी है अथवा अधूरी है।
02. कुल पॉजिटिव मरीज, मेडिकल आइसोलेशन, होम-आइसोलेशन एवं रिकवर्ड रोगियों के कालम में अंकित सूचनाएं परस्पर विरोधाभासी हैं।
03. R.R.T. द्वारा कोविड रोगियों की कुल संख्या के सापेक्ष किया गया भ्रमण व सत्यापन या तो अपूर्ण है अथवा भ्रामक है। 'नाट अलाउड' रोगियों व 'हास्पिटलाइज्ड' मरीजों की संख्या में भिन्नता है, जिसका अर्थ यह है कि गम्भीर रोगी अथवा होम आइसोलेशन को खतरे में डालने जैसे आपराधिक कृत्य की श्रेणी में आता है।
04. औषधि वितरण– लक्षित समूहों की कुल संख्या के सापेक्ष कम है अथवा भ्रामक है।
05. कान्टेक्ट ट्रैसिंग का कार्य– बेहद शिथिल है। कुल पॉजिटिव केस के सापेक्ष, औसत कान्टेक्ट पर्सन की संख्या 15 के औसत से काफी कम है। समयबद्ध ढंग से और पर्याप्त मात्रा में कान्टेक्ट पर्सन को चिन्हित न करने की वजह से संक्रमित व्यक्तियों के द्वारा अनजाने में समाज में कोविड-संक्रमण की घटना बढ़ सकती है, जो आपकी शिथिल पर्यवेक्षणीय कार्यशैली की वजह से हो रहा है। इसे आपराधिक कृत्य की श्रेणी में माना जायेगा।
06. सैम्पलिंग कार्य :-

- कान्टेक्ट सैम्पलिंग की संख्या कुल पाजिटीव मरीज व कुल कान्टेक्ट पर्सन के सापेक्ष कम है।
- सर्विलांस सैम्पल– कम है।
- कम्यूनिटी सैम्पल– कम है।
- लक्ष्य के सापेक्ष RTPCR सैम्पल की संख्या– कम है।
- लक्ष्य के सापेक्ष ANTIGEN सैम्पल की संख्या– कम है।

07. पोर्टल फीडिंग कार्य :-

- A. पोर्टल फीडिंग कालम में अंकित सूचनाएं भ्रामक हैं। सैम्पल आई०डी० व कन्साइमेन्ट जनरेशन कार्य, लक्ष्य के सापेक्ष कम है।
- B. रिजल्ट अपडेट के कालम में अंकित सूचनाएं अधूरी एवं भ्रामक हैं।

08. होम आइसोलेशन एप की संख्या होम आइसोलेशन में रह रहे रोगियों की संख्या के सापेक्ष कम है।

09. सर्विलांस कार्य, बेहद अपर्याप्त है। जबकि आपकी PHC क्षेत्र में कोविड संक्रमण की संख्या दिन-प्रतिदिन, काफी तेजी से बढ़ रही है। आपके द्वारा समय से सर्विलांस कार्य रणनीतिक ढंग से न कराये जाने एवं सर्विलांस में चिन्हित व्यक्तियों/रोगियों का स्वास्थ्य उपचार न कराने की वजह से, न सिर्फ कोविड संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं बल्कि दुःखद रूप से, को-मार्भिड व्यक्तियों के समक्ष जीवन-मरण का संकट उपस्थित हो रहा है। यह आपकी गम्भीर लापरवाही का द्योतक है।

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अधिसूचित सुसंगत प्रावधानों एवं अधिनियम के अन्तर्गत कोविड महामारी के दौरान शासकीय कर्मचारियों के लिए विभिन्न दायित्व निर्धारित किये गये हैं। जिनका उल्लंघन दण्डनीय एवं आपराधिक कृत्य घोषित किया गया है।

कृपया उपरोक्त अंकित अनियमितताओं के सम्बंध में स्वयं के हस्ताक्षरयुक्त अपना बिन्दुसूचार स्पष्टीकरण, आज ही लौटती डाक से प्रेषित करें अथवा स्वयं लेकर नियमित समीक्षा मीटिंग अवधि में अधोहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थित हों। नियमित समय में स्पष्टीकरण प्राप्त न होने प्रदान करते हुये आपके विभागीय सक्षम प्राधिकारी के समक्ष, आपके विरुद्ध सुसंगत वैधानिक कार्यवाही किए जाने की आख्या प्रेषित कर दी जाएगी, जिसकी जिम्मेदारी आपकी स्वयं की होगी। कोविड-19 महामारी जैसे महत्वपूर्ण कार्य के दृष्टिगत आपका उक्त कृत्य, सुसंगत धाराओं में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराये जाने के सम्बंध में विचारणीय हो सकता है।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

01. जिलाधिकारी महोदय वाराणसी।
02. मुख्य चिकित्साधिकारी वाराणसी को सूचनार्थ एवं इस अपेक्षा के साथ कि अग्रिम कार्यवाही करते हुए उक्त नोटिस को सम्बन्धित कार्मिक की व्यक्तिगत पत्रावली में संरक्षित कराना सुनिश्चित करें।
03. श्री अगित उपाध्याय (क० लि०) को इस आशय से कि सम्बन्धित पी०एच०सी० प्रभारी को नोटिस की एक प्रति आज ही तामील कराते हुए द्वितीय प्रति को सम्बन्धित के सतिथि हस्ताक्षर एवं स्वयं के अभिप्रामाणन के साथ कन्ट्रोल सेन्टर में प्रस्तुत करें।

(विनियोगी संग्राम सिंह)
सहा० नोडल डिस्ट्री कलेक्टर
आई०डी०सी०सी०, वाराणसी।

सहा० नोडल डिस्ट्री कलेक्टर
आई०डी०सी०सी०, वाराणसी।

इंटीग्रेटेड कोविड कमाण्ड एण्ड कन्ट्रोल सेन्टर वाराणसी।

पत्रांक: 01(25)कोविड19 / नोटिस / 2020

दिनांक : 09.8.2020

नोटिस

डा० उपमा पाण्डेय

प्रभारी, पी०एच०सी०— सिक्करौल वाराणसी।

आप अवगत हैं कि आपदा के रूप में घोषित कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत, जनपद स्तर पर इस महामारी के रोकथाम के प्रभावी एवं समयबद्ध प्रयास आवश्यक है। कृपया समय-समय पर उ० प्र० शासन स्तर से निर्गत विभिन्न शासनादेशों का सन्दर्भ ग्रहण करें। आपके प्रभार के अन्तर्गत संचालित पी०एच०सी० हेतु, अब तक चिह्नित कोविड-19 पॉजिटिव रोगियों की कुल संख्या और विवरण से आपको समय से अवगत कराया जा चुका है। आपके द्वारा दिनांक: 09.8.2020 के दैनिक कार्यों की समेकित सूचना को, डेली मास्टर रिपोर्ट प्रारूप (11 बिन्दुओं की) पर अंकित कर प्रेषित किया गया है। उक्त रिपोर्ट की समीक्षा करने पश्चात निम्न बिन्दुओं के सम्बंध में आपकी लापरवाही व शिथिता परिलक्षित हो रही है —

1. दैनिक रिपोर्ट के विभिन्न कालमों में अंकित सूचना, मनमाने ढंग से भरी गयी है अथवा अधूरी है।
2. कुल पॉजिटिव मरीज, मेडिकल आइसोलेशन, होम-आइसोलेशन एवं रिकवर्ड रोगियों के कालम में अंकित सूचनाएं परस्पर विरोधाभासी हैं।
3. R.R.T. द्वारा कोविड रोगियों की कुल संख्या के सापेक्ष किया गया भ्रमण व सत्यापन या तो अपूर्ण है अथवा भ्रामक है। 'नाट हेतु अपात्र रोगी आपकी लापरवाही से खतरनाक स्थिति में रह रहा है। आपका यह कृत्य मानव जीवन अथवा समाज के लोगों को खतरे में डालने जैसे आपराधिक कृत्य की श्रेणी में आता है।
4. औषधि वितरणः— लक्षित समूहों की कुल संख्या के सापेक्ष कम है अथवा भ्रामक है।
5. कान्टेक्ट ट्रेसिंग का कार्यः— बेहद शिथिल है। कुल पॉजिटिव केस के सापेक्ष, औसत कान्टेक्ट पर्सन की संख्या 15 के औसत से काफी कम है। समयबद्ध ढंग से और पर्याप्त मात्रा में कान्टेक्ट पर्सन को चिह्नित न करने की वजह से संक्रमित व्यक्तियों के रहा है। इसे आपराधिक कृत्य की श्रेणी में माना जायेगा।
6. सैम्पलिंग कार्य :-
 - कान्टेक्ट सैम्पलिंग की संख्या कुल पाजिटीव मरीज व कुल कान्टेक्ट पर्सन्स के सापेक्ष कम है।
 - सर्विलांस सैम्पल— कम है।
 - कम्यूनिटी सैम्पल— कम है।
 - लक्ष्य के सापेक्ष RTPCR सैम्पल की संख्या— कम है।
 - लक्ष्य के सापेक्ष ANTIGEN सैम्पल की संख्या— कम है।
7. पोर्टल फीडिंग कार्य :-
 - A. पोर्टल फीडिंग कालम में अंकित सूचनाएं भ्रामक हैं। सैम्पल आई०डी० व कन्साइंमेन्ट जनरेशन कार्य, लक्ष्य के सापेक्ष कम है।
 - B. रिजल्ट अपडेट के कालम में अंकित सूचनाएं अधूरी एवं भ्रामक हैं।
 - 08. होम आइसोलेशन एप की संख्या होम आइसोलेशन में रह रहे रोगियों की संख्या के सापेक्ष कम है।
 - 09. सर्विलांस कार्य, बेहद अपर्याप्त है। जबकि आपकी PHC क्षेत्र में कोविड संक्रमण की संख्या दिन-प्रतिदिन, काफी तेजी से बढ़ रही है। आपके द्वारा समय से सर्विलांस कार्य रणनीतिक ढंग से न कराये जाने एवं सर्विलांस में चिह्नित व्यक्तियों/रोगियों का स्वास्थ्य उपचार न कराने की वजह से, न सिर्फ कोविड संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं बल्कि दुःखद रूप से, को-मार्बिड व्यक्तियों के समक्ष जीवन-मरण का संकट उपस्थित हो रहा है। यह आपकी गम्भीर लापरवाही का द्योतक है।

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अधिसूचित सुसंगत प्रावधानों एवं अधिनियम के अन्तर्गत कोविड महामारी के दौरान शासकीय कर्मचारियों के लिए विभिन्न दायित्व निर्धारित किये गये हैं। जिनका उल्लंघन दण्डनीय एवं आपराधिक कृत्य घोषित किया गया है। कृपया उपरोक्त अंकित अनियमितताओं के सम्बंध में स्वयं के हस्ताक्षरयुक्त अपना बिन्दुवार स्पष्टीकरण, आज ही लौटती डाक से की दशा में यह माना जाएगा कि आपको उक्त नोटिस के सम्बंध में कुछ नहीं कहना है। तदनुसार इसी नोटिस को आरोप पत्र की मान्यता जाएगी, जिसकी जिम्मेदारी आपकी स्वयं की होगी। कोविड-19 महामारी जैसे महत्वपूर्ण कार्य के दृष्टिगत आपका उक्त कृत्य, सुसंगत धाराओं में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराये जाने के सम्बंध में विचारणीय हो सकता है।

प्रतिलिपि— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

01. जिलाधिकारी महोदय वाराणसी।
02. मुख्य विकासाधिकारी वाराणसी को सूचनार्थ एवं इस अपेक्षा के साथ कि अग्रिम कार्यवाही करते हुए उक्त नोटिस को सम्बन्धित कार्यिक की व्यक्तिगत पत्रावली में संरक्षित कराना सुनिश्चित करें।
03. श्री अमित उपाध्याय (क० लि०) को इस आशय से कि सम्बन्धित पी०एच०सी० प्रभारी को नोटिस की एक प्रति आज ही तामील कराते हुए द्वितीय प्रति को सम्बन्धित के संतिथि हस्ताक्षर एवं स्वयं के अभिप्रामाणन के साथ कन्ट्रोल सेन्टर में प्रस्तुत करें।

(विनय बहार सिंह)
सहा० नोडल / डिप्टी कलेक्टर
आई०सी०री०सी०, वाराणसी।

9 सहा० नोडल / डिप्टी कलेक्टर
आई०सी०री०सी० वाराणसी।

इंटीग्रेटेड कोविड कमाण्ड एण्ड कन्ट्रोल सेन्टर वाराणसी |
विधायक सभा (रोमांच) 2022

समयबद्ध / तत्काल

पत्रांक: 01(26)कोविड19 / नोटिस / 2020

दिनांक : 09.8.2020

नोटिस

डॉ सरोज यादव

प्रभारी, पी०एच०सी०— टाउनहाल वारणसी।

आप अवगत हैं कि आपदा के रूप में घोषित कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत, जनपद स्तर पर इस महामारी के रोकथाम के प्रभावी एवं समयबद्ध प्रयास आवश्यक है। कपया समय-समय पर ३० म० लाखन बत्ता से विपर्यासित हो रहे हैं।

आपके प्रभार के अन्तर्गत संचालित पी0एच0सी0 हेतु, अब तक चिह्नित कोविड-19 पॉजिटिव रोगियों की कुल संख्या और विवरण से आपको समय से अवगत कराया जा चुका है। आपके द्वारा दिनांक: 09.8.2020 के दैनिक कार्यों की समेकित सूचना को, डेली मास्टर रिपोर्ट प्रारूप (11 बिन्दुओं की) पर अंकित कर प्रेषित किया गया है। उक्त रिपोर्ट की समीक्षा करने पश्चात निम्न बिन्दुओं के सम्बंध में आपकी लापरवाही व शिथिलता परिलक्षित हो रही है –

1. दैनिक रिपोर्ट के विभिन्न कालमों में अंकित सूचना, मनमाने ढंग से भरी गयी है अथवा अधूरी है।
 2. कुल पॉजिटिव मरीज, मेडिकल आइसोलेशन, होम-आइसोलेशन एवं रिकवर्ड रोगियों के कालम में अंकित सूचनाएं परस्पर विरोधाभासी हैं।
 3. R.R.T. द्वारा कोविड रोगियों की कुल संख्या के सापेक्ष किया गया भ्रमण व सत्यापन या तो अपूर्ण है अथवा भ्रामक है। 'नाट अलाउड' रोगियों व 'हास्पिटलाइज्ड' मरीजों की संख्या में भिन्नता है, जिसका अर्थ यह है कि गम्भीर रोगी अथवा होम आइसोलेशन हेतु अपात्र रोगी आपकी लापरवाही से खतरनाक स्थिति में रह रहा है। आपका यह कृत्य मानव जीवन अथवा समाज के लोगों को खतरे में डालने जैसे आपराधिक कृत्य की श्रेणी में आता है।
 4. औषधि वितरण:- लक्षित समूहों की कुल संख्या के सापेक्ष कम है अथवा भ्रामक है।
 5. कान्टेक्ट ट्रेसिंग का कार्य:- बेहद शिथिल है। कुल पॉजिटिव केस के सापेक्ष, औसत कान्टेक्ट पर्सन की संख्या 15 के औसत से काफी कम है। समयबद्ध ढंग से और पर्याप्त मात्रा में कान्टेक्ट पर्सन को चिन्हित न करने की वजह से संक्रमित व्यक्तियों के द्वारा अनजाने में समाज में कोविड-संक्रमण की घटना बढ़ सकती है, जो आपकी शिथिल पर्यवेक्षणीय कार्यशैली की वजह से हो रहा है। इसे आपराधिक कृत्य की श्रेणी में माना जायेगा।
 6. सैम्प्लिंग कार्य :-
 - कान्टेक्ट सैम्प्लिंग की संख्या कुल पाजिटीव मरीज व कुल कान्टेक्ट पर्सन्स के सापेक्ष कम है।
 - सर्विलांस सैम्प्ल- कम है।
 - कम्यूनिटी सैम्प्ल- कम है।
 - लक्ष्य के सापेक्ष RTPCR सैम्प्ल की संख्या- कम है।
 - लक्ष्य के सापेक्ष ANTIGEN सैम्प्ल की संख्या- कम है।

07. पोर्टल फीडिंग कार्य :-

 - A. पोर्टल फीडिंग कालम में अंकित सूचनाएं भ्रामक है। सैम्पल आई०डी० व कन्साइंसेन्ट जनरेशन कार्य, लक्ष्य के सापेक्ष कम है।
 - B. रिजल्ट अपडेट के कालम में अंकित सूचनाएं अधूरी एवं भ्रामक है।

08. होम आइसोलेशन एप की संख्या होम आइसोलेशन में रह रहे रोगियों की संख्या के सापेक्ष कम है।

09. सर्विलांस कार्य, बेहद अपर्याप्त है। जबकि आपकी PHC क्षेत्र में कोविड संक्रमण की संख्या दिन-प्रतिदिन, काफी तेजी से बढ़ रही है। आपके द्वारा समय से सर्विलांस कार्य रणनीतिक ढंग से न कराये जाने एवं सर्विलांस में चिह्नित व्यक्तियों/रोगियों का स्वास्थ्य उपचार न कराने की वजह से, न सिर्फ कोविड संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं बल्कि दुःखद रूप से, को-मार्बिड व्यक्तियों के समक्ष जीवन-मरण का संकट उपस्थित हो रहा है। यह आपकी गम्भीर लापरवाही का द्योतक है।

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अधिसूचित सुसंगत प्रावधानों एवं अधिनियम के अन्तर्गत कोविड महामारी के दौरान शासकीय कर्मचारियों के लिए विभिन्न दायित्व निधारित किये गये हैं। जिनका उल्लंघन दण्डनीय एवं आपराधिक कृत्य घोषित किया गया है।

कृपया उपरोक्त अंकित अनियमितताओं के सम्बंध में स्वयं के हस्ताक्षरयुक्त अपना बिन्दुवार स्पष्टीकरण, आज ही लौटती डाक से प्रेषित करें अथवा स्वयं लेकर नियमित समीक्षा मीटिंग अवधि में अधोहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थित हों। नियत समय में स्पष्टीकरण प्राप्त न होने की दशा में यह माना जाएगा कि आपको उक्त नोटिस के सम्बंध में कुछ नहीं कहना है। तदनुसार इसी नोटिस को आरोप पत्र की मान्यता प्रदान करते हुये आपके विभागीय सक्षम प्राधिकारी के समक्ष, आपके विरुद्ध सुसंगत वैधानिक कार्यवाही किए जाने की आख्या प्रेषित कर दी जाएगी, जिसकी जिम्मेदारी आपकी स्वयं की होगी। कोविड-19 महामारी जैसे महत्वपूर्ण कार्य के दृष्टिगत आपका उक्त कृत्य, सुसंगत धाराओं में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराये जाने के सम्बंध में विचारणीय हो सकता है।

मनिक्षिपि— निम्नलिखित को सचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- जिलाधिकारी महोदय वाराणसी।
 - मुख्य चिकित्साधिकारी वाराणसी को सूचनार्थ एवं इस अपेक्षा के साथ कि अग्रिम कार्यवाही करते हुए उक्त नोटिस को सम्बंधित कार्मिक की व्यक्तिगत पत्रावली में संरक्षित कराना सुनिश्चित करें।
 - श्री अमित उपाध्याय (क० लि०) को इस आशय से कि सम्बंधित पी०ए०सी० प्रभारी को नोटिस की एक प्रति आज ही तामील कराते हुए द्वितीय प्रति को सम्बंधित के सतिथि हस्ताक्षर एवं स्वयं के अभिप्रायान के साथ कन्द्रोल सेन्टर में प्रस्तुत करें।

(विनय कुमार सिंह)
सहारा नोडल / डिप्टी कलेक्टर
आई०सी०सी०सी०, वाराणसी।

आई०सी०सी०सी०, वाराणसी ।

ଆଶ୍ରମାବାସୀ, ୧୯୫୫

सहारा नाड़िल / डिप्टी कलेक्टर
आर्द्धसीमासीमा वाराणसी।